मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017–18

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2017–18

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	:	**श्री सूर्य प्रकाश मीणा**

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त	:	**श्री पी.सी. मीणा**
प्रमुख सचिव	:	**श्री अशोक बर्णवाल**
उप सचिव	:	**श्री अतुल कुमार मिश्रा**
अवर सचिव	:	**श्री अनूप कुमार मुण्डा**

संचालनालय

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	:	श्री सत्यानन्द, आयुक्त, उद्यानिकी

निगम

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	:	श्री सत्यानन्द, प्रबंध संचालक

अनुक्रमणिका

क्रमांक	संकाय	पृष्ठ क्रमांक

संचालनालय

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

भाग–1	(1) विभागीय संरचना	6–7
	(2) अधीनस्थ कार्यालय	8
	(3) विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	8
	(4) विभाग के दायित्व	8
	(5) विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	8–10
	(6) सामान्य प्रमुख विशेषतायें	11
	(7) महत्वपूर्ण उद्यानिकी सांख्यिकी	12–16
भाग–2	बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	17
	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (मदवार)	
भाग–3	**विभाग द्वारा संचालित योजनाएं**	**18**
	(अ) राज्य पोषित योजनाएं	**19–25**
	(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	**26–38**
	(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें	**39–40**
	मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग योजना (एम.पी.डबल्यू.एस.आर.पी.)	
	(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजाएं	**41**
	(ई) अन्य योजनायें	**41**
भाग–4	सामान्य प्रशासनिक विषय	42
भाग–5	अभिनव योजना	43
भाग–6	विभागीय प्रकाशन	44
भाग–7	सारांश	44

क्रमांक	संकाय	पृष्ठ क्रमांक

निगम

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

* स्थापना, उद्देश्य, मुख्य गतिविधियां, कृषि आदान, विपणन व्यवस्था प्रशासकीय संरचना — 45—50
* यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई — 50
* उपलब्धियॉ — 50—51

परिशिष्ट— 1

* एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) अंतर्गत अनुदान विवरण परिशिष्ट—1 — 52—69

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष – +91755–2578491

फैक्स – +91755–2768159

ई–मेल – dirhort@mp.nic.in

बेवसाइट – www.horticulture.mp.gov.in

विभागीय ढाँचा

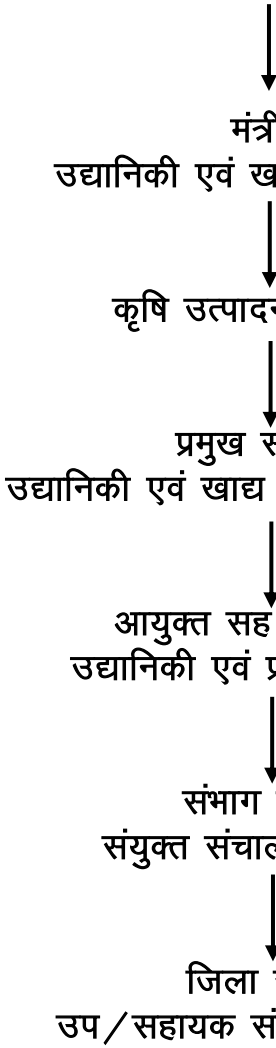
मंत्री
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
कृषि उत्पादन आयुक्त
प्रमुख सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग स्तर
संयुक्त संचालक उद्यान
जिला स्तर
उप/सहायक संचालक उद्यान

विभागीय संरचनाः–

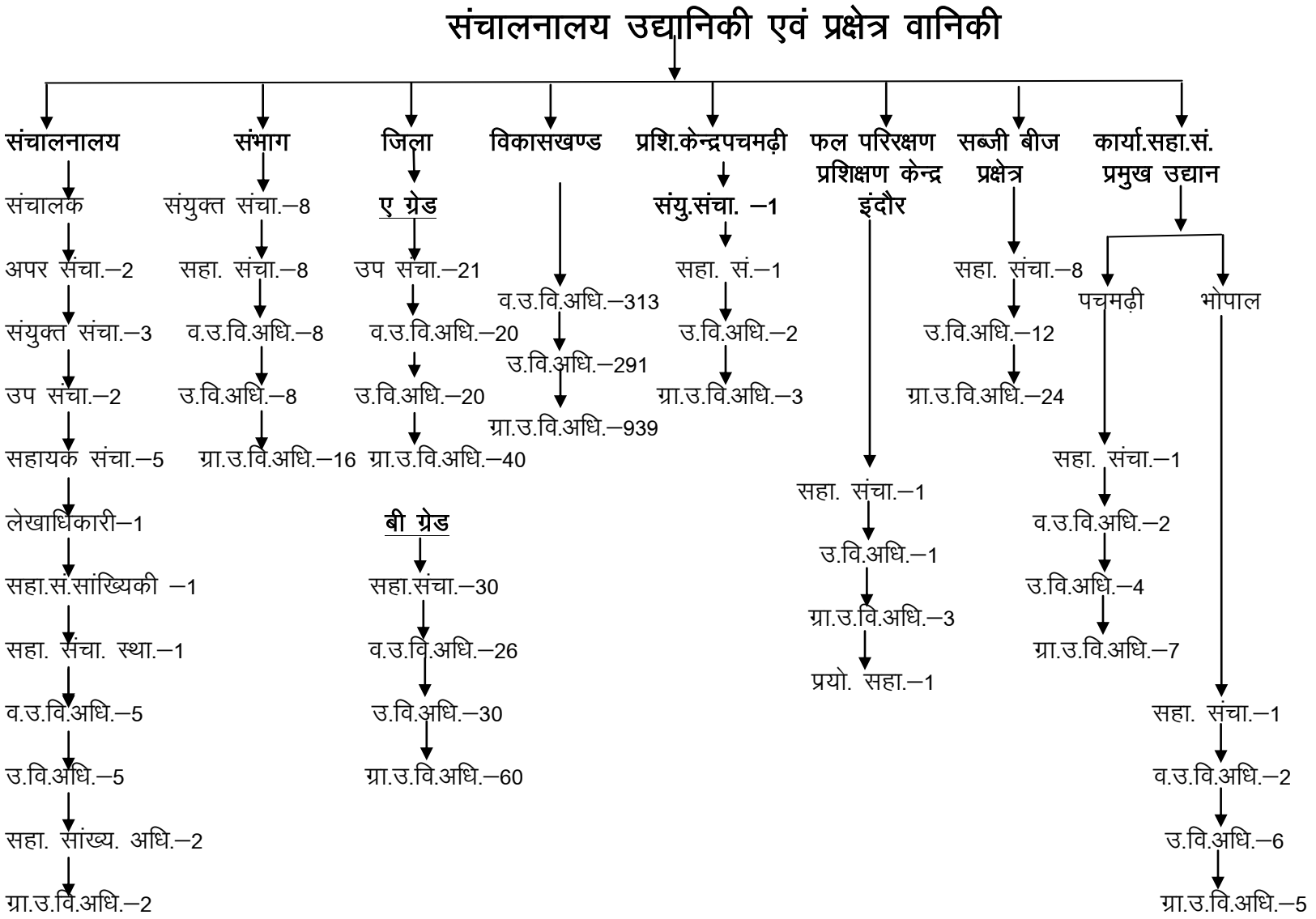

अपर संचा. – अपर संचालक, संयुक्त संचा.उ. – संयुक्त संचालक उद्यान, उप संचा. उ. – उप संचालक उद्यान, सहा. संचा.उ. – सहायक संचालक उद्यान, सहा. सांख्य. अधि– सहायक सांख्यकी अधिकारी, व.उ.वि.अधि. –वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उ.वि.अधि. – उद्यान विकास अधिकारी, ग्रा.उ.वि.अधि. – ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, प्रयो. सहा. – प्रयोगशाला सहायक

2. अधीनस्थ कार्यालय :

2.1 संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अन्तर्गत राज्य स्तरीय (01),
2.2 कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग स्तर (08)
2.3 जिला स्तर
2.3.1 कार्यालय उप संचालक उद्यान (21) ए ग्रेड जिले
2.3.2. कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (30) बी ग्रेड जिले
2.3.3 प्रक्षेत्र/फार्म स्तर
कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (08)
2.4 विकासखण्ड स्तर
कार्यालय वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (313)
2.5 नर्सरी स्तर
कार्यालय उद्यान विकास अधिकारी (307)
2.6 प्रशिक्षण केन्द्र (02)
2.7 प्रमुख उद्यान (02)

3. विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

4. विभाग का दायित्व :

i. उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि
ii. उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण
iii. सब्जी एवं मसाला फसलों का विकास
iv. औषधीय एवं सुगंधित फसलों का विकास
v. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को प्रोत्साहन।
vi. फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत शीतश्रृंखला को प्रोत्साहन।
vii. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती का विकास।
viii. आधुनिकतम तकनीकी का प्रचार–प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण।
ix. उद्यानिकी उत्पादन का भण्डारण, विपणन एवं प्रसंस्करण व्यवस्था का समन्वय।
x. उद्यानिकी में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना।

5. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :

5.1 उद्देश्य

देश एवं प्रदेश की उन्नति सर्वोपरि है। अतः कृषकों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना होगा ताकि किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सके और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सके। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी देश/प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति कृषकों के उत्थान से ही सफल हो सकती है, जिसके लिये प्रदेश के विकास में उद्यानिकी एक सशक्त माध्यम है।

प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्म निर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करे, इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी संपदा में वृद्धि करने के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ–साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज/कन्द उपलब्ध हो सकें, साथ ही कृषकों को उनके उत्पादों का फसलोत्तर प्रबंधन, परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके।

उद्यानिकी के क्षेत्र में विस्तार हेतु योजनाओं में आधुनिक तकनीकी को सतत् अपनाते हुए उत्पादन, प्रबंधन एवं निर्यात के क्षेत्र में उपयोगी बनाने की महती आवश्यकता है।

उद्यानिकी फसलों का महत्व मनुष्य के भोजन में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, कृषकों की नगद आय बढ़ाने एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ–साथ पर्यावरण में सुधार करना है। आहार विशेषज्ञों की राय के अनुसार मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के लिये प्रतिदिन फल, सागभाजी एवं मसालों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को पोषण आहार जैसे– फल, सब्जी, मसाले आसानी से उपलब्ध हो सके, इसकी पूर्ति हेतु विभाग क्षेत्र विस्तार के साथ–साथ उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि तथा भण्डारण एवं विपणन की अधोसंरचना विकास हेतु संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

5.2 स्थापना : मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश वासियों को संतुलित पोषण आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 फरवरी, 1982 को राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय की स्थापना की गई।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को मिलाकर, कृषि विभाग से पृथक कर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर, 2005 को जारी की गई।

5.3 दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र	पद	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	संचालक	37400–67000+10000	1	1	0
2	अपर संचालक उद्यान	37400–67000+8700	2	1	1
3	संयुक्त संचालक उद्यान	15600–39100+7600	12	2	10
4	उप संचालक उद्यान	15600–39100+6600	22	8	14
5	उप संचालक सांख्यिकी	15600–39100+6600	1	0	1
6	सहायक संचालक उद्यान	15600–39100+5400	54	33	21
7	प्रशिक्षण अधिकारी सहा. संचा.	15600–39100+5400	1	1	0
8	सहायक संचालक सांख्यिकी	15600–39100+5400	1	1	0
9	सहायक संचालक उद्यान स्थापना	15600–39100+5400	1	0	1
10	लेखाधिकारी वित्त सेवा	15600–39100+5400	1	1	0
11	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800+3600	2	1	1
12	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800+3600	1	1	0
13	वरि.उ.वि.अधि.	9300–34800+3600	377	127	250
14	उ.वि.अधिकारी	5200–20200+2800	380	277	103
15	ग्रा.उ.वि.अधिकारी	5200–20200+2400 5200–20200+2100	1100	806	294
16	प्रयोगशाला सहायक	5200–20200+1900	1	1	0
17	ग्रंथपाल	5200–20200+2400	1	0	1
18	अधीक्षक	9300–34800+3600	9	2	7
19	शीघ्रलेखक	5200–20200+2800	14	8	6
20	सहायक ग्रेड–1	5200–20200+2800	59	18	41
21	लेखापाल	5200–20200+2400	73	57	16
22	आडिटर	5200–20200+2400	2	2	0
23	सहायक ग्रेड–2	5200–20200+2400	68	46	22
24	सहायक ग्रेड–3 (नियमित)	5200–20200+1900	157	108	49
25	स्टेनो टाइपिस्ट	5200–20200+1900	10	0	10
26	वाहन चालक (नियमित)	5200–20200+1900	22	13	9
27	ट्रेक्टर चालक	4440–7440+1300	8	0	8
28	भृत्य/चौकीदार (नियमित)	4440–7440+1300	147	118	29
29	माली (नियमित)	4440–7440+1300	548	548	0
30	लेब बॉय (नियमित)	4440–7440+1300	1	0	1
	योग		**3076**	**2180**	**896**
31	सहायक ग्रेड–3 (सांख्येत्तर)	5200–20200+1900	183	54	129
32	वाहन चालक (सांख्येत्तर)	5200–20200+1900	21	12	9
33	माली (सांख्येत्तर)	4440–7440+1300	317	317	0
34	वाहन चालक (संविदा)	कलेक्टर दर	13	4	9
	योग		**534**	**387**	**147**
	महायोग		**3610**	**2567**	**1043**

6. सामान्य प्रमुख विशेषतायें :

i विकास गतिविधियॉ

- प्रदेश में उद्यानिकी संपदा में वृद्धि के लिए फल, सब्जी, मसाले, पुष्प एवं औषधि के रकबे एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
- टपक सिंचाई द्वारा जल का समुचित उपयोग कर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना, तथा ''पर ड्राप मोर क्राप'' के सिद्धांत की पूर्ति करना है।
- गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन के लिए प्रदेश में मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं नियम, 2011 लाया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 को जारी की गई है।
- प्रदेश में स्थापित शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों के उन्नयन आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर किया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से वर्षवार निम्नानुसार शासकीय एवं निजी नर्सरियों की रेटिंग कराई गई है।

क्र	वर्ष	शासकीय रोपणी	निजी रोपणी	योग
1	2011–12	19	11	**30**
2	2012–13	0	2	**2**
3	2013–14	8	3	**11**
4	2014–15	2	0	**2**
5	2015–16	7	4	**11**
योग		**36**	**20**	**56**

- प्रदेश में शासकीय क्षेत्र में 307 तथा निजी क्षेत्र में 46 रोपणियाँ स्थापित है।

ii प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता

विभागीय अमले को समय समय पर उन्नतशील आधुनिकतम तकनीकी की जानकारी देने हेतु 3 माली प्रशिक्षण केन्द्र तथा पचमढ़ी में एक अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जिनमें उद्यान अधीक्षक, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं मालियों को उद्यानिकी के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। साथ ही अन्य प्रदेशों में प्रचलित विधाओं/उन्नत तकनीकी आदि के प्रशिक्षण हेतु दूसरे प्रदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है। कृषकों को उन्नत किस्म की खेती के संबंध में जानकारी देने हेतु ग्रीन हाऊस तकनीक, टपक सिंचाई पद्धति जैसी उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर भ्रमण कराकर उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराया जाता है। कृषकों के ज्ञान मे वृद्धि के लिये प्रदेश के संभागों एवं जिलों में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनियों का सतत् आयोजन किया जाता है।

iii फसलोत्तर प्रबंधन

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, रायपनिंग चेम्बर, प्याज भण्डार गृह एवं पैक हाउस आदि के निर्माण हेतु मापदण्डानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

7. उद्यानिकी सांख्यिकी :

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल–हेक्टर में
उत्पादन–टन में
उत्पादकता–टन/हेक्टेयर में

अ–फल :–

क्र.	फसल का नाम	2014–15			2015–16		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	आम	26707	396065	14.83	36026	441977	12.27
2	अमरूद	25429	816271	32.1	25987	435333	16.75
3	ऑवला	13975	306751	21.95	16347	195279	11.95
4	संतरा	60150	1029768	17.12	95443	1175211	12.31
5	नीबू	11116	244663	22.01	16107	213033	13.23
6	मौसम्बी	8698	111073	12.77	9471	144686	15.28
7	केला	27795	1655748	59.57	22637	1555665	68.72
8	अनार	4565	48572	10.64	7330	63704	8.69
9	पपीता	13821	455402	32.95	9122	400109	43.86
10	खरबूज	3649	43715	11.98	2687	41392	15.41
11	तरबूज	3229	46950	14.54	5208	120869	23.21
12	सिंघाड़ा	226	1112	4.92	663	3141	4.74
13	बेर	4230	46403	10.97	7685	59728	7.77
14	कटहल	2849	115755	40.63	3648	59186	16.22
15	अंगूर	160	2160	13.5	85	1275	15.00
16	सीताफल	2735	37360	13.66	5369	61433	11.44
17	अन्य फल	19450	444433	22.85	27598	340164	12.33
योग		**228784**	**5801962**	**25.36**	**291411**	**5312184**	**18.23**

अ–फल		2016–17			2017–18 प्रथम अनुमान		
क्र.	फल का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	आम	43609.05	588541.77	13.50	45200.36	641121.14	14.18
2	अमरूद	32559.23	624654.25	19.19	37432.19	667433.79	17.83
3	ऑवला	20468.01	304079.49	14.86	20840.68	307058.92	14.73
4	संतरा	118688.99	1612146.30	13.58	120484.94	2039525.73	16.93
5	नीबू	18655.45	272870.63	14.63	19853.90	294541.94	14.84
6	मौसम्बी	10869.70	186510.26	17.16	10989.40	189310.82	17.23
7	केला	26969.80	1873689.24	69.47	27081.40	1891944.58	69.86
8	अनार	9350.62	103519.56	11.07	9491.47	109583.40	11.55
9	पपीता	10930.75	464189.29	42.47	11090.34	467432.13	42.15
10	खरबूज	4534.50	72001.96	15.88	4635.20	74684.40	16.11
11	तरबूज	7437.60	189698.06	25.51	7505.20	191985.15	25.58
12	सिघाड़ा	355.90	958.73	2.69	370.80	1002.64	2.70
13	बेर	9909.35	114101.41	11.51	10025.32	116047.13	11.58
14	कटहल	4242.84	83640.20	19.71	4385.40	83436.93	19.03
15	अंगूर	85.00	1275.00	15.00	85.00	1275.00	15.00
16	सीताफल	12478.88	147187.35	11.79	12913.88	154377.85	11.95
17	अन्य फल	14227.74	141081.87	9.92	16325.15	171967.12	10.53
योग		**345373.41**	**6780145.37**	**19.63**	**358710.63**	**7402728.67**	**20.64**

ब–सब्जियॉ :–

क.	सब्जी का नाम	2014–15			2015–16		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	आलू	136012	3048029	22.41	134136	2743001	20.45
2	शकरकंद	4083	79210	19.4	2513	35012	13.93
3	प्याज	117880	2842087	24.11	140837	3240389	23.01
4	टमाटर	70225	2176975	31	74231	1805502	24.32
5	भिण्डी	28105	327704	11.66	34788	448259	12.89
6	बैगन	46116	1153822	25.02	44884	846467	18.86
7	फूलगोभी	26042	750270	28.81	34345	715953	20.85
8	बंदगोभी	20452	605788	29.62	24009	491895	20.49
9	अरबी	13756	117201	8.52	11557	190029	16.44
10	हरीमटर	57802	580910	10.05	85822	717179	8.36
11	लौकी	13172	253561	19.25	17562	274618	15.64
12	करेला	8876	78286	8.82	8783	103839	11.82
13	मूली	3138	46913	14.95	12438	176125	14.16
14	पालक	3959	43153	10.9	15310	156804	10.24
15	गिल्की / तोरई	3321	38524	11.6	9256	107014	11.56
16	गाजर	1897	32439	17.1	3999	61834	15.46
17	ककड़ी	2227	34519	15.5	5646	128585	22.78
	शिमला मिर्च	0	0	0	1212	34531	28.50
18	परवल	1304	29601	22.7	180	3577	19.90
19	अन्य सब्जी	76	1391	18.3	65819	952494	17.32
योग		**666414**	**14121313**	**21.19**	**756812**	**13743780**	**14.47**

ब–सब्जी		2016–17			2017–18 प्रथम अनुमान		
क.	सब्जी का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	आलू	159997.16	3460980.46	21.63	155935.80	3537490.60	22.69
2	शकरकंद	4432.20	63449.79	14.32	4654.70	70881.76	15.23
3	प्याज	150839.21	3821046.22	25.33	143885.55	3687904.11	25.63
4	टमाटर	95395.42	2722682.98	28.54	97579.97	2783975.84	28.53
5	भिण्डी	43730.36	625832.04	14.31	45017.03	644935.12	14.33
6	बैगन	51672.84	1053515.75	20.39	51042.29	1036519.60	20.31
7	फूलगोभी	46354.81	991713.68	21.39	46871.72	1007664.75	21.50
8	बंदगोभी	28555.84	651596.18	22.82	31829.19	732948.99	23.03
9	अरबी	15051.97	251873.73	16.73	15432.05	257952.29	16.72
10	हरीमटर	95205.49	957601.58	10.06	96620.39	978615.47	10.13
11	लौकी	17918.73	335587.95	18.73	18432.50	343383.96	18.63
12	करेला	11230.97	148792.53	13.25	11506.60	147705.01	12.84
13	मूली	8701.41	124311.94	14.29	8760.91	150016.62	17.12
14	पालक	28357.62	313805.79	11.07	29460.20	325238.26	11.04
15	तोराई	12233.93	169565.88	13.86	12478.97	171828.01	13.77
16	गाजर	6421.93	116467.61	18.14	6937.30	129335.32	18.64
17	ककड़ी	7900.02	132562.28	16.78	9095.16	155246.13	17.07
18	शिमला मिर्च	1080.25	22440.34	20.77	1019.44	23424.59	22.98
19	परवल	268.51	4396.89	16.38	287.96	4748.29	16.49
20	अन्य सब्जी	84240.22	1301094.73	15.45	86222.66	1297809.91	15.05
योग		**869588.89**	**17269318.35**	**19.86**	**873070.39**	**17487624.63**	**20.03**

स–मसाला :–

क्र.	फसल का नाम	2014–15			2015–16		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	मिर्च सूखी लाल		456482	3.03	101436	373943	3.69
2	मिर्च हरी	150654	1238376	8.22		0	0
3	अदरक	26038	368438	14.15	19675	312960	15.91
4	लहसुन	103805	1240470	11.95	112987	1198090	10.60
5	हल्दी	8954	243549	27.2	9251	156832	16.95
6	धनिया पत्ती		368122	1.86	248354	0	0
7	धनियॉ	197915	197915	1		349941	1.41
8	मैथी बीज/पत्ती	35755	128718	3.6	47399	94233	1.99
9	जीरा	460	414	0.9	473	573	1.21
10	सौंफ	447	1010	2.26	2179	5917	2.72
11	अन्य मसालें	47137	225315	4.78	40399	194808	4.82
योग		**571165**	**4466510**	**7.82**	**582154**	**2687296**	**4.62**

स–मसाला		2016–17			2017–18 प्रथम अनुमान		
क्र.	मसाला का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	मिर्च सूखी लाल	98537.80	303626.69	3.08	95531.45	268379.30	2.81
2	हरी मिर्च	43149.25	701616.50	16.26	42812.84	723698.11	16.90
3	अदरक	23153.07	372637.80	16.09	23900.05	380483.58	15.92
4	लहसुन	156880.15	1779912.34	11.35	161507.90	1798934.06	11.14
5	हल्दी	12876.75	239241.39	18.58	13184.20	234809.72	17.81
7	धनियॉ बीज	275762.83	387428.14	1.40	277412.60	391462.42	1.41
8	मेथी बीज/पत्ती	54386.79	103002.44	1.89	53439.54	104218.47	1.95
9	जीरा	481.15	449.55	0.93	513.95	477.03	0.93
10	सौंफ	1431.38	2521.79	1.76	1478.73	2620.85	1.77
11	अन्य मसालें	44884.52	229184.69	5.11	45896.64	240088.31	5.23
योग		**711543.69**	**4119621.33**	**5.79**	**715677.90**	**4145171.85**	**5.79**

द–पुष्प :–

क्र.	पुष्प का नाम	2014–15			2015–16		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	गेन्दा	8143	89329	10.97	15155	166052	10.96
2	गुलाब	2428	13597	5.6	2705	14433	5.34
3	सेवन्ती	840	11046	13.15	950	7888	8.30
4	नौरंगा	3144	58321	18.55	0	0	0
5	रजनीगंधा	274	1099	4.01	129	1025	7.94
6	ग्लेडूलस	419	1010	2.41	799	8233	10.30
7	अन्य पुष्प	2502	33727	13.48	4151	30685.68	7.39
योग		**17750**	**208030**	**11.72**	**23890**	**228316**	**9.56**

द–पुष्प		2016–17			2017–18 प्रथम अनुमान		
क्र.	पुष्प का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	गेन्दा	18120.62	237083.95	13.08	19924.37	279223.72	14.01
2	गुलाब	2988.39	35168.15	11.77	2662.11	39828.16	14.96
3	सेवन्ती	929.46	11284.31	12.14	951.21	11575.17	12.17
4	रजनीगंधा	270.61	3208.33	11.86	230.10	10720.05	46.59
5	ग्लेडूल्स	1055.87	9448.17	8.95	1010.48	19101.65	18.90
6	अन्य पुष्प	5440.14	55496.15	10.20	5313.16	56166.26	10.57
योग		**28805.09**	**351689.06**	**12.21**	**30091.43**	**416615.01**	**13.84**

घ–औषधि :–

क्र.	औषधि का नाम	2014–15			2015–16		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	अश्वगंधा	4227	6763	1.6	5880	7050	1.20
2	सफेद मुसली	700	700	1	1325	5289	3.99
3	ईसबगोल	30168	41934	1.39	35576	41485	1.17
4	चन्द्रसूर	7564	11346	1.5	0	0	0
5	तुलसी	4797	9498	1.98	0	0	0
6	कालमेद्य	2814	7007	2.49	0	0	0
7	कोलियस	152	228	1.5	82	463	5.64
8	अन्य औषधियॉ	15195	30086	1.98	15152	60394	3.99
योग		**65617**	**107612**	**1.64**	**58016**	**114681**	**1.98**
महायोग		**1549730**	**24702696**	**15.94**	**1712284**	**22086257**	**12.90**

घ–औषधि		2016–17			2017–18 प्रथम अनुमान		
क्र.	औषधि का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	अश्वगंधा	4135.43	5400.58	1.31	4069.60	5450.09	1.34
2	सफेद मुसली	1497.09	5490.59	3.67	1417.86	5577.23	3.93
3	ईसबगोल	19734.85	24008.46	1.22	22956.85	27769.26	1.21
4	कोलियस	116.10	622.59	5.36	166.30	890.36	5.35
5	अन्य औषधियॉ	15054.90	48827.80	3.24	15070.80	49177.63	3.26
योग		**40538.37**	**84350.02**	**2.08**	**43681.41**	**88864.57**	**2.03**
1	**सुगंधित फसल**	**1639.80**	**2322.87**	**1.42**	**1627.90**	**2263.25**	**1.39**
महायोग		**1997489.25**	**28607447.00**	**14.32**	**2022859.66**	**29543267.98**	**14.60**

भाग–2
बजट प्रावधान

आयोजना

वर्ष 2014–15 में आयोजना अंतर्गत सामान्य मद में 18335.34 लाख, अनुसूचित जनजाति मद में 4138.86 लाख तथा अनुसूचित जाति मद में 3331.86 लाख, इस प्रकार कुल 25806.06 लाख का व्यय हुआ है । वर्ष 2015–16 में आयोजना अंतर्गत सामान्य मद में 34585.83 लाख, अनुसूचित जनजाति मद में 4610.35 लाख तथा अनुसूचित जाति मद में 3780.88 लाख, इस प्रकार कुल 42977.06 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2016–17 में सामान्य मद में 38384.84 लाख, अनुसूचित जनजाति मद में 8616.66 लाख तथा अनुसूचित जाति मद में 5059.99 लाख, इस प्रकार कुल 52061.49 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 अंत तक सामान्य मद में 16727.73 लाख, अनुसूचित जनजाति मद में 377.05 लाख तथा अनुसूचित जाति मद में 2634.49 लाख, इस प्रकार कुल 19739.27 लाख का व्यय हुआ है।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	व्यय			
	सामान्य	अनुसूचित जनजाति उप योजना	अनुसूचित जाति उप योजना	योग
2014–15	18335.34	4138.86	3331.86	25806.06
2015–16	34585.83	4610.35	3780.88	42977.06
2016–17	38384.84	8616.66	5059.99	52061.49
2017–18 (दिस.–17)	16727.73	377.05	2634.49	19739.27

आयोजनेत्तर

वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर मद में रूपये 11438.54 लाख, वर्ष 2015–16 में रूपये 12706.00 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2016–17 में 52061.49 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 अंत तक 19739.27 लाख का व्यय हुआ है।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	व्यय
2014–15	11438.54
2015–16	12706.00
2016–17	52061.49
2017–18 (दिस.–17)	19739.27

भाग–3

राज्य योजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :

विभाग के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित विषय सम्मिलित हैं :–

उद्यानिकी अंतर्गत फल, साग–सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा प्रसंस्करण हेतु कार्य किया जाता है। इनके विकास हेतु विभाग द्वारा कृषकों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. राज्य पोषित योजनाएं :–

1. फलपौध रोपण अनुदान योजना
2. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना
3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना,
4. बाड़ी (किचन गार्डन) के लिए आदर्श कार्यक्रम
5. प्रदर्शन/मिनीकिट की योजना (वर्ष 2016–17 से बंद)
6. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण योजना
7. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम
8. प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार–प्रसार योजना
9. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
10. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
11. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार
12. पार्क एवं स्टेशन गार्डन का सुदृढ़ीकरण
13. फल सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
14. शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
15. मौसम आधारित फसल बीमा योजना
16. नर्मदा नदी के दोनों तटो पर 1–1 किलोमीटर की पट्टी तक फल पौध रोपण की योजना
17. खाद्य प्रसंस्करण
18. नश्वर उत्पादों की क्षमता में वृद्धि

ब. केन्द्र पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKY)
   - 2.1 माईक्रो इरीगेशन (OFWM)
   - 2.2 वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
4. मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन (NMMP)
5. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP)

स. I. अधिनियम/नियम :–

1. मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं नियम 2011
2. बीज अधिनियम।

अ. राज्य पोषित योजनायें :–

I. जिला सेक्टर

1. फल पौध रोपण अनुदान योजना

फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016–17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 03 वर्षो में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	16879	10298	2058.34	1721.35	14711
2	2015–16	11752	11649	1979.00	1708.52	14706
3	2016–17	4521	2295	2924.83	1745.00	2834
4	2017–18 (दिस.–17)	6318	4084	3105.23	637.52	4933

2. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना को संशोधित कर वर्ष 2016–17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत (प्रमाणित उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा। जड़ एवं कंद वाली व्यावसायिक फसल आलू एवं अरबी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	14092	13002	2013.00	1941.18	23309
2	2015–16	14765	14691	2013.00	1932.73	29451
3	2016–17	11832	6050	1693.20	482.13	7898
4	2017–18 (दिस.–17)	3914	5841	2833.00	212.95	7285

3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना को संशोधित कर वर्ष 2016–17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। बीज मसाला फसलों (मिर्च, धनिया, मेथी, करायल (कलोंजी), जीरा और अजवाइन) में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	12370	12426	1847.00	1808.64	22787
2	2015–16	13890	13598	1847.00	1744.11	25957
3	2016–17	7309	4170	1141.10	316.54	5627
4	2017–18 (दिस.–17)	5274	4203	1813.04	96.55	6031

4. बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम

राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही संख्या को रू. 75/–के सब्जी बीजों के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	939881	939881	704.94	704.94	939881
2	2015–16	1066619	1010053	800.00	797.61	1010053
3	2016–17	458707	438908	344.03	333.25	438908
4	2017–18 (दिस.–17)	308592	308592	257.16	199.77	308592

5. प्रदर्शन/मिनीकिट की योजना

योजना के तहत कृषक के खेतों पर 400 वर्ग मीटर या गठित समिति द्वारा निर्धारित फसल विशेष के लिये निर्धारित क्षेत्रफल में मिनिकिट द्वारा प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है।

योजनान्तर्गत प्रदर्शन/मिनिकिट में लगने वाली आदान सामग्री (बीज एवं बीजोपचार दवा) विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदाय की जाती है। वर्ष 2016–17 से योजना बंद कर दी गई है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	548555	540004	1009.92	941.50	540004
2	2015–16	689426	686126	1172.27	0	686126

6. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण

योजनांतर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किये जाते हैं तथा राज्य के बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	560	445	219.30	151.76	445
2	2015–16	2200	906	185.00	183.55	906
3	2016–17	1000	376	118.74	118.67	376
4	2017–18 (दिस.–17)	1000	485	130.95	88.80	485

7. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अंदर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रय का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	घटक	दर
1	2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण	रूपये 400/– प्रति कृषक प्रति दिवस
2	प्रदेश के अंदर भ्रमण एवं प्रशिक्षण	रूपये 1000/– प्रति कृषक प्रति दिवस
3	प्रदेश के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण	रूपये 1500/– प्रति कृषक प्रति दिवस
4	नवीन तकनीक के अवलोकन हेतु कृषकों को एक्सपोजर विजिट	रूपये 1500/– प्रति कृषक प्रति दिवस

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	19340	20987	517.00	369.87	20987
2	2015–16	47893	35226	481.00	419.56	35226
3	2016–17	12937	10354	495.96	470.07	10354
4	2017–18 (दिस.–17)	31315	10690	522.66	81.86	10690

8. प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार प्रसार

योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुँचाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं मेला आयोजित कर प्रचार–प्रसार किया जाता है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	2950	2686	171.73	168.96	27350
2	2015–16	2060	1588	206.00	169.05	77922
3	2016–17	2268	1992	232.78	211.44	66172
4	2017–18 (दिस.–17)	2790	870	279.00	87.00	34800

II. राज्य सेक्टर

9. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

योजना का उद्देश्य संरक्षित खेती अंतर्गत विशेष प्रकार के निर्मित पाली हाऊस/शेडनेट हाऊस ढ़ांचे में गैर मौसम में भी खेती कर उच्च मूल्य की गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियों का अधिक उत्पादन लेकर कृषक अधिक आमदनी प्राप्त कर सके, तथा गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियॉ वर्षभर उपभोक्ता को उपलब्ध हो सके।

योजना में एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी. ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीनहाऊस, शेडनेट एवं प्लास्टिक लो–टनल इत्यादि के निर्माण हेतु कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	2008	1584	500.00	351.50	1715
2	2015–16	13002	11829	3308.00	2235.42	14057
3	2016–17	494	222	2646.67	2623.97	335
4	2017–18 (दिस.–17)	1534	918.23	2125.34	934.94	875

10. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषको को योजनान्तर्गत यंत्रवार इकाई लागत का 50% अधिकतम निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है :–

क्र	नाम यंत्र/उपकरण	इकाई लागत	अधिकतम अनुदान (रूपये)
1	पोटेटो प्लांटर/डिगर	60,000	30,000
2	गार्लिक/ओनियन, प्लांटर/डिगर	60,000	30,000
3	ट्रेक्टर माउण्टेड ऐरोब्लास्टर स्प्रेयर	1,50,000	75,000
4	पावर आपरेटेड प्रूनिंग मशीन	40,000	20,000
5	फागिंग मशीन	20,000	10,000
6	मल्च लेईंग मशीन	60,000	30,000
7	पावर टिलर	1,50,000	75,000
8	पावर वीडर	1,00,000	50,000
9	ट्रेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 एच.पी.)	3,00,000	1,50,000
10	ओनियन/गार्लिक मार्कर	1,000	500
11	पोस्ट होल डिगर (अर्थ अगर)	1,00,000	50,000
12	ट्रीप्रनूर	90,000	45,000
13	प्लांट हेज ट्रिमर	70,000	35,000
14	मिस्ट ब्लोअर	60,000	30,000
15	पॉवर स्प्रे पम्प	50,000	25,000

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	1220	585	500.00	412.82	585
2	2015–16	737	698	435.00	366.37	698
3	2016–17	1007	687	728.00	632.48	687
4	2017–18 (दिस.–17)	1619	1136	880.52	368.76	1136

11. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है। विभाग द्वारा आंवला, अश्वगंधा, बेल, कोलियस, गुड़मार, कालमेघ, सफेद मुसली, सर्पगंधा, शतावर एवं तुलसी की फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु भारत सरकार की गाईड लाईन में निर्धारित लागत मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है :–

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	676	205	100.00	94.90	348
2	2015–16	368	361	100.00	94.92	786
3	2016–17	489	391	80.00	77.81	911
4	2017–18 (दिस.–17)	456	18.75	100.00	47.17	57

12. पार्क एवं स्टेशन गार्डन का सुदृढ़ीकरण

पार्क एवं स्टेशन गार्डन की सुदृढ़ीकरण योजना का उद्देश्य पुराने पार्क एवं स्टेशन गार्डनों का सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से राजा भोज एयरपोर्ट एवं एन.एच.–12 के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य भोपाल विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जा रहा है।

क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2014–15	1	1	200.00	200.00
2	2015–16 (दिस.–15)			160.00	84.44

13. फल सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर की स्थापना

इंदौर में स्थापित फल सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र में फल एवं सागभाजी के परिरक्षित पदार्थ जैसे जेम, जैली, अचार, मुरब्बा, शरबत, केन्डी एवं अन्य परिरक्षित पदार्थ तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक सत्र में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

क्र	वर्ष	हितग्राही संख्या संख्या
1	2014–15	585
2	2015–16	719
3	2016–17	648
4	2017–18 (दिस.–17)	996

14. शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

विभाग द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में कुल 307 नर्सरियॉ संचालित की जा रही है। ज्यादातर नर्सरियों की स्थापना 30–35 वर्ष पूर्व की गई थी, जो वर्तमान परिपेक्ष्य में उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। उनके उन्नयन की महती आवश्यकता है।

राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 के अंतर्गत विभाग की 100 नर्सरियों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिवर्ष 20 नर्सरियों के उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। वर्ष 2016–17 में चयनित 20 नर्सरियों के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया है।

15. मौसम आधारित फसल बीमा :–

प्रदेश में उद्यानिकी कृषकों की फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013–14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें–बैंगन, प्याज, टमाटर, केला, पपीता, मिर्च एवं संतरा तथा रबी मौसम की फसलें–आलू, टमाटर, बैगन, प्याज पत्तागोभी, फूलगोभी, हरी मटर, धनिया, लहसुन, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में विचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है।

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	बीमित कृषक संख्या	रकबा (हेक्टेयर)	कुल प्रीमियम राशि (करोड़ रूपये में)	दावा भुगतान	हितग्राही कृषक संख्या
2014–15	168771	89824	68.40	48.66	165535
2015–16	249321	154502	105.51	70.65	167031
2016–17	514364	329593.91	222.28	178.09	390517
2017–18 (दिस.–17)	358749	224903	118.30	–	–

16. नर्मदा नदी के दोनों तटो पर 1–1 किलोमीटर की पट्टी तक फल पौध रोपण की योजना :–

शासन द्वारा मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण एवं प्रदूषण मुक्त करने के साथ क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नदी के दोनों तटों पर 1–1 किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि में फल पौध रोपण की योजना वर्ष 2016–17 से स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में 5000 द्वितीय वर्ष में 20000 तथा तृतीय वर्ष में 20000 कुल 45000 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराने हेतु कृषकों को अनुदान हेतु राशि रूपये 534.20 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 में 14774 कृषकों के यहॉ 44.45 लाख फलदार पौधों का रोपण किया गया है।

17. खाद्य प्रसंस्करण :–

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति वर्ष 2016 में स्वीकृत कराई गयी जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जावेगा। नश्वर उत्पादों की भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु प्याज भण्डारण गृह निर्माण की विशेष योजनान्तर्गत 2 वर्षो में 5 लाख मी. टन शीतगृह भण्डारण एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में 5 लाख मी. टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा 500 कोल्ड रूम निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गयी।

इस रणनीति के तहत प्याज भण्डारण की क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 137225 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज गृह निर्मित हो चुके है। इस प्रकार अभी तक कुल क्षमता 2.75 लाख मीट्रिक टन विकसित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 3.028 लाख मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृह निर्माणाधीन है।

नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज हेतु 02 वर्षो में 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 3.32 लाख मीट्रिक टन क्षमता विकसित हो रही है।

ब. केन्द्र पोषित /केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रांश 60%, एवं राज्यांश 40%)

2. मध्य प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन वर्ष 2005–06 से लागू किया गया है तथा वर्तमान में प्रदेश के 40 जिले मिशन मे शामिल है चयनित जिलों की सूची निम्नानुसार है :–

1. भोपाल	2. बैतूल	3. होशंगाबाद	4. सागर
5. जबलपुर	6. छिंदवाड़ा	7. उज्जैन	8. शाजापुर
9. मंदसौर	10. रतलाम	11. देवास	12. इंदौर
13. धार	14 झाबुआ	15. खरगौन	16 खण्डवा
17 मण्डला	18. डिण्डोरी	19. बुरहानपुर	20. बड़वानी
21. रीवा	22. सतना	23. हरदा	24. राजगढ
25. गुना	26. नीमच	27. ग्वालियर	28. छतरपुर
29. सीहोर	30. विदिशा	31. सीधी	32. अलीराजपुर
33. सिंगरौली	34. अशोकनगर	35. रायसेन	36. दमोह
37. पन्ना	38. टीकमगढ़	39. दतिया	40. आगर–मालवा

उद्देश्य

- मिशन अवधि में उद्यानिकी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दो गुना करना ।
- मिशन के अंतर्गत चयनित 40 जिलों में आम, आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, सीताफल, बेर, केला, पपीता, धनियां, अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च एवं पुष्प फसलों का विकास करना ।
- उच्च प्रजाति के पौधों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बड़ी एवं छोटी मॉडल रोपणियों की स्थापना।
- पौध रोपण अधोसंरचना का विकास ।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना ।
- संरक्षित खेती अंतर्गत पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस का निर्माण एवं प्लास्टिक मल्चिंग को बढ़ावा।
- फसलोत्तर प्रबंधन प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, निर्यात की सुविधाओं के विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास करना ।
- आधुनिक तकनीकी का कृषकों को प्रशिक्षण ।
- उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ।

फोकस फसलें

फल : आम, संतरा, अमरूद, आंवला, पपीता, केला एवं अनार,

मसाले : धनियाँ, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन

पुष्प : कट फ्लावर, बल्बस फ्लावर, लूज फ्लावर

अनुदान व्यवस्था :–

एकीकृत बागवानी विकास मिशन में संचालित योजनाओं में घटकवार दी जाने वाली सहायता के लागत मापदंड तथा अनुदान सहायता का विवरण परिशिष्ट–1 पर दिया गया है।

वर्षवार आवंटन तथा व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन राशि	व्यय राशि
2008–09	6900.00	6726.02
2009–10	4461.19	7176.69
2010–11	6233.97	6556.08
2011–12	6922.43	6821.11
2012–13	3439.08	3540.31
2013–14	7653.22	5783.01
2014–15	4901.12	5672.51
2015–16	6750.00	6748.50
2016–17	7559.00	2607.35
2017–18 (दिस.–17)	5000.00	2853.81

1.1 शासकीय एवं निजी क्षेत्र में बीजोत्पादन

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)				वित्तीय (लाख में)				हितग्राही संख्या
		लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधान		व्यय		
		शा.	निजी	शा.	निजी	शा.	निजी	शा.	निजी	
2014–15	हेक्टर	147.46	100.00	79.92	50.5	51.61	12.25	53.59	29.59	54
2015–16	हेक्टर	100.00	60.00	38.23	40.40	35.00	7.35	23.99	13.89	42
2016–17	हेक्टर	100.00	0.00	10.00	0.00	36.75	0.00	13.25	0.00	2
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

1.2 नये फलोद्यानों की स्थापना

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	4067	3304.38	1280.04	991.10	3817
2015–16	हेक्टर	2456	2626.14	728.34	623.11	3298
2016–17	हेक्टर	1400	15.65	618.59	242.79	119
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	750	200	183.75	0.00	–

1.3 सब्जी क्षेत्रविस्तार (संकर)

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	–	–	–	–	–
2015–16	हेक्टर	1000.00	1900.00	200.00	89.59	4162
2016–17	हेक्टर	1000.00	67.44	510.00	333.05	500
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	0.00	0.00	23.48	0.00	0

1.4 पुष्प क्षेत्र विस्तार :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	1257.00	1050.20	279.92	207.83	1699
2015–16	हेक्टर	990.00	1165.00	190.00	234.30	1821
2016–17	हेक्टर	790.00	7.38	186.25	21.90	530
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	0.00	0.00	0.00	0.00	0

1.5 मसाला क्षेत्र विस्तार :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	1445.00	1395.00	173.40	193.97	2042
2015–16	हेक्टर	1900.00	2150.00	228.00	239.62	3966
2016–17	हेक्टर	1000.00	112.31	128.68	33.43	1533
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	0.00	0.00	0.00	0.00	0

1.6 जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रति स्थापना :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	600.00	500.00	120.00	107.81	500
2015–16	हेक्टर	2000.00	2600.00	400.00	382.12	2545
2016–17	हेक्टर	1500.00	0.00	445.71	268.72	506
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	700.00	312.00	140.00	0.00	0

1.7 संरक्षित खेती

I. ग्रीन हाऊस ढांचा :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	38.00	21.78	1647.00	660.17	82
2015–16	हेक्टर	17.00	11.00	736.00	563.00	34
2016–17	हेक्टर	24.00	9.05	1420.20	756.53	82
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	15.00	8.608	633.00	353.06	22

II.प्लास्टिक मल्चिंग :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	1500.00	1220.60	240.00	161.80	729
2015–16	हेक्टर	5300.00	4460.85	848.00	514.23	3180
2016–17	हेक्टर	3000.00	1705.14	480.00	199.82	2185
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	2100.00	872.04	336.00	186.75	900

III. **छायादार जालीगृह (शेडनेट) :**

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	25.00	11.70	833.00	127.00	117
2015–16	हेक्टर	5.00	4.46	177.50	186.21	12
2016–17	हेक्टर	5.00	4.64	313.55	389.23	48
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	15.00	5.70	532.50	125.55	14

1.8 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट :

वर्ष	उप घटक	इकाई	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
			लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	स्थाई ढांचा	संख्या	180	160	90.00	67.86	160
2015–16	स्थाई ढांचा	संख्या	100	146	50	51.00	146
	HDPE	संख्या	500	1369	40	46.07	1369
2016–17	स्थाई ढांचा	संख्या	132	26	532.48	99.38	96
	HDPE	संख्या	800	122	64.00	54.56	246
2017–18 (दिस.–17)	स्थाई ढांचा	संख्या	0	0	0.00	0.00	0
	HDPE	संख्या	0	0	0.00	0.00	0

1.9 मानव संसाधन विकास

कृषकों का प्रशिक्षण सह भ्रमण :–

कृषकों को राज्य के अंदर तथा बाहर भ्रमण कराकर उद्यानिकी की नवीन तकनीकी से अवगत कराने प्रशिक्षित कराया जाता है।

I. **राज्य के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण :–**

वर्ष	इकाई	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	संख्या	16667	17549	500.01	409.77	17549
2015–16	संख्या	17333	14890	519.99	474.73	14890
2016–17	संख्या	3533	1486	137.84	71.96	2745
2017–18 (दिस.–17)	संख्या	–	–	–	–	–

II. **राज्य से बाहर प्रशिक्षण सह भ्रमण :–**

वर्ष	इकाई	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	संख्या	–	–	–	–	–
2015–16	संख्या	–	–	–	–	–
2016–17	संख्या	100	62	4	4	106
2017–18 (दिस.–17)	संख्या	–	–	–	–	–

III. **उद्यानिकी फसलों की उन्नत तकनीकी के अध्ययन हेतु विदेश भ्रमण :–**

वर्ष 2016–17 में उद्यानिकी फसलों की उन्नत तकनीकी के अध्ययन हेतु प्रदेश से 40 कृषक एवं 4 अधिकारियों द्वारा नीदरलैंड एवं इजराइल की विदेश यात्रा की गई। विदेश यात्रा पर रूपये 66.24 लाख व्यय किया गया।

1.10 फसलोत्तर प्रबंधन

I. पैक हाऊस निर्माण :–

वर्ष	इकाई	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	संख्या	121	93	242.00	449.50	93
2015–16	संख्या	150	148	300.00	195.97	148
2016–17	संख्या	80	20	309.10	238.36	52
2017–18 (दिस.–17)	संख्या	53	36	236.80	32.00	44

II. कोल्ड स्टोरेज :–

वर्ष	इकाई	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	संख्या	13	13	1820.00	973.21	13
2015–16	संख्या	10	14	1400.00	2005.23	14
2016–17	संख्या	12	14	2380.00	799.03	13
2017–18 (दिस.–17)	संख्या	18	20	3533.00	1386.60	18

III. कम लागत का प्याज भण्डार गृह :–

वर्ष	इकाई	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	संख्या	400	220	350.00	89.37	220
2015–16	संख्या	500	307	437.50	97.05	307
2016–17	संख्या	300	192	457.80	319.00	192
2017–18 (दिस.–17)	संख्या	0	0	0	0	–

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

2.1 माईक्रो इरीगेशन

I. केन्द्र प्रवर्तित माइक्रोइरीगेशन योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में शामिल किया जाकर योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक पर ''ड्रिप मोर क्रॉप'' (माइक्रोइरीगेशन) किया गया है।

II. योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्ता को बढ़ाना।

III. यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।

IV. योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.4 हेक्टर एवं अधिकतम 5.00 हेक्टर तक ड्रिप संयंत्र में तथा न्यूनतम 1.00 हेक्टेयर एवं अधिकतम 5.00 हेक्टेयर स्प्रिंकलर का लाभ दिया जा सकता है।

V. योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि विभाग में पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर सिस्टम क्रय कर सकतें हैं।

योजनांतर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना करने पर कुल लागत का निम्नानुसार प्रतिशत में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

क्र	कृषक श्रेणी	वर्ग	योजनान्तर्गत प्रावधानित अनुदान %			टॉपअप राज्यांश %	कुल अनुदान %
			केन्द्रांश (60%)	राज्यांश 40%)	योग		
1	लघु/सीमांत कृषक	अ.जा./अ.ज.जा.	33	22	55	10	65
2		सामान्य	33	22	55	5	60
3	बड़े कृषक	अ.जा./अ.ज.जा./सा.	27	18	45	10	55

ड्रिप/स्प्रिकलर स्थापना की वर्षवार भौतिक वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है।

वर्ष	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रूपये में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2014–15	हेक्टर	29795.00	24083.66	10155.62	11362.45	18285
2015–16	हेक्टर	71617.15	58627.43	23379.89	20285.44	44785
2016–17	हेक्टर	71665.00	57798.70	30544.00	24303.41	51649
2017–18 (दिस.–17)	हेक्टर	84852.14	13954ए36	45609.07	9463.36	–

रेन फेड एरिया डेव्हलेपमेंट (RAD) :–

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से संचालित यह योजना वर्ष 2014–15 से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत 20 जिले चयनित किये गये है। प्रत्येक जिले में एक–एक क्लस्टर का चयन किया गया है। वर्ष 2016–17 में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से जिला स्तर पर यह योजना संचालित की जा रही है।

चयनित जिले –

1. राजगढ़	2. रायसेन	3. गुना	4. शिवपुरी	5. अलीराजपुर
6. बड़वानी	7. धार	8. झाबुआ	9. खण्डवा	10. खरगौन
11. बैतूल	12. जबलपुर	13. छिंदवाड़ा	14. रीवा	15. सिंगरौली
16. दमोह	17. पन्ना	18. देवास	19. रतलाम	20. शाजापुर

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

3.1 फल (अनार) क्षेत्र विस्तारः– परियोजना अन्तर्गत अनार टिश्यूकल्चर उच्च घनत्व पौध रोपण मय ड्रिप इरीगेशन का प्रावधान है। जिस हेतु प्रति हेक्टर निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 1.50 लाख पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 0.75 लाख अनुदान का प्रावधान तीन वर्षो में, प्रथम वर्ष 60 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत व तृतीय वर्ष 20 प्रतिशत राशि न्यूनतम 80 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर देय है।

3.2 क्लस्टर आधारित संरक्षित खेतीः– प्रदेश में मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देने हेतु एग्रीकेटर के माध्यम से खण्डवा, बैतूल एवं सीहोर में चयनित क्लस्टर में संरक्षित खेती अंतर्गत नेचुरली वेंटीलेटेड पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल एवं वॉक इन टनल एवं उनमें सब्जी की खेती तथा इन्टीग्रेटेड पैक हाउस, रिफर वेन एवं सोलर ड्रायर पर तथा क्लस्टर के बाहर अन्य जिलो में पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस तथा उनमें पुष्प एवं सब्जी की खेती हेतु उद्यानिकी मिशन के नार्मस अनुसार अनुदान का प्रावधान है।

3.3 प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्डः– प्रदेश में सिंचाई का रकवे में वृद्धि हेतु कृषकों द्वारा छोटे तालाब में प्लाटिक की लाईनिंग स्थापित कराने हेतु निर्धारित इकाई लागत प्रतिवर्ग मीटर राशि रू. 100.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 55.00 प्रति वर्गमीटर देय है।

3.4 तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय फसलों की खेती हेतु सहायताः– कृषकों को तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर फसलों की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रति कृषक 0.200 हेक्टर में संकर तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय फसलो की खेती हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नार्मस अनुसार निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 10 हजार पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 5000/– देय है।

3.5 उद्यानिकी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट वितरण :– उद्यानिकी कृषकों को सब्जी फसलों के परम्परागत परिवहन के दौरान उत्पाद नष्ट होने से बचाने एवं उनका उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से "प्लास्टिक क्रेट पर सहायता" परियोजना के तहत प्रति प्लास्टिक क्रेट निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 300.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 150.00 का प्रावधान है। प्रति कृषक 10 से अधिकतम 50 प्लास्टिक क्रेट्स पर आर्थिक सहायता देय है।

3.6 प्याज भंडार गृहः– प्रदेश में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषकों को उन्हे उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने एवं उचित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 25 एवं 50 मीट्रिक टन के "प्याज भंडार गृह" निर्माण की परियोजना कियान्वित है।

कृषकों द्वारा NHRDF नासिक की निर्धारित ड्राईंग–डिजाईन अनुसार प्याज भंडार गृह का निर्माण किये जाने पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन के मापदण्ड अनुसार 25 मीट्रिक टन की क्षमता के लिए निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 1.75 लाख का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 0.875 लाख एवं 50 मीट्रिक टन की क्षमता के लिए निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 3.50 लाख का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 1.75 लाख का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वर्षवार, प्रोजेक्टवार भौतिक वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014–15 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

क्र	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		रिलीज	पूर्ति		हितग्राही संख्या
			भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनार क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	6000	1220.00	1210.28	5879	1210.28	5662
2	उद्यानिकी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट वितरण	संख्या	200000	250.00	250.00	200000	250.00	13500
3	सोलर पम्प आधारित सूक्ष्म सिंचाई मिशन	हेक्टर	1000	3794.84	0.00	0	0.00	0
4	रेसीडेन्सी कोठी गार्डन का विकास	संख्या	1	60.32	10.32	1	10.32	0
5	भोपाल इंदौर हाइवे पर संरक्षित खेती के उद्यानिकी कारीडोर का विकास	हेक्टर	43	2934.92	1016.90	31	1016.90	85
6	रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फार ग्रोविंग वेजीटेबल)	संख्या	2	200.00	200.00	2	200.00	0
7	आलू के क्लस्टर का मैकेनाइजेशन	संख्या	1	424.43	0.00	0	0.00	0
8	उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान हार्टीकल्चर इंस्टीट्यूट का विकास	संख्या	1	50.00	0.00	0	0.00	0
	प्रशासनिक व्यय 1 प्रतिशत	–	–	89.34	16.88	–	16.88	0
	योग –	–	–	**9023.85**	**2704.38**	–	**2704.38**	**19247**
9	नेशनल वेजीटेबल इनीशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर	हेक्ट / संख्या	1896/ 166	800.00	400.00	1120/ 50	400.00	2688
	महायोग –	–	–	**9823.85**	**3104.38**	–	**3104.38**	**21935**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2015–16 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

क्र	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		रिलीज	पूर्ति		हितग्राही संख्या
			भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	अनार क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	6555	1404.40	1328.93	5611	1328.93	1227
2	शहरी प्रदूषित जल से पुष्प उत्पादन	हेक्टर	1181	362.50	362.50	1181	362.50	1593
3	बड़े शहरों के आसपास सब्जी क्षेत्र विस्तार	हेक्टर / संख्या	1908/ 94	1000.00	633.50	1908/ 94	633.50	2506
4	प्याज भंडार गृह	संख्या	400	700.00	700.00	400	700.00	400
5	रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फार ग्रोविंग वेजीटेबल)	संख्या	3	350.00	350.00	3	350.00	0
6	रेसीडेन्सी कोठी गार्डन का विकास	संख्या	1	50.00	50.00	1	50.00	0
7	उद्यानिकी रोपणियों का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	संख्या	4	100.00	100.00	4	100.00	0
8	एरोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त आलू बीज उत्पादन इकाई की स्थापना	संख्या	1	1000.00	0.00	0	0.00	0
9	उच्च तकनीक से पान की खेती	संख्या	1000	420.00	0.00	0	0.00	0
10	ग्रीष्मकालीन तरबूज, खरबूज व कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण	संख्या	7500	262.50	0.00	0	0.00	0
	प्रशासनिक व्यय	–	–	56.49	33.33	–	33.33	0
	योग –	–	–	**5705.89**	**3558.26**	–	**3558.26**	**5726**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016–17 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

क्र	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		रिलीज	पूर्ति		हितग्राही संख्या
			भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उच्च तकनीक से पान की खेती	संख्या	1000	420.00	381.60	823	381.61	823
2	ग्रीष्म कालीन तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण	संख्या	7500	262.50	195.96	5625	195.96	5625
3	अनार क्षेत्र विस्तार एवं रखरखाव	हेक्टर	4000	600.00	500.00	2437	500	2437
4	रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फॉर ग्रांईंग वेजीटेबल)	संख्या	3	287.69	41.65	1	41.65	0
5	अनार क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	2000	900.00	432.03	1287	432.03	1287
6	प्याज भण्डार गृह	संख्या	3173	4375.00	3024.00	1953	3024	1953
7	बड़े शहरों के आसपास सब्जी क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	4000	1000.00	909.35	3682	909.34	3682
8	पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस में उच्च गृणवत्तायुक्त सब्जी एवं पुष्प जरबेरा , गुलाब की खेती की लागत पर आर्थिक सहायता	हेक्टर	23	574.40	500.00	41	500	112
9	प्लास्टिक क्रेट वितरण	संख्या	200000	300.00	0.00	0	0	0
10	माइक्रोइरीगेशन	हेक्टर	5000	2500.00	0.00	0	0	0
11	उद्यानिकी रोपणियों एवं पार्क का सुदृढ़ीकरण	संख्या	8	644.50	549.50	8	549.5	0
	योग –	**–**	**–**	**11864.09**	**6534.09**	**–**	**6534.09**	**15919**
	प्रशासनिक व्यय	–	–	118.64	44.23	–	44.23	0
	कुल योग –	**–**	**–**	**11982.73**	**6578.32**	**0.00**	**6578.32**	**15919**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017–18 की प्रगति

(राशि लाख रूपये मे)

क्र	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		रिलीज	पूर्ति		हितग्राही संख्या
			भौतिक	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती	हेक्टर	50	2495.45	415.00	4.6	322.82	12
2	प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड	वमी.	33,33,333	2000.00	730.60	31610	25.99	15
3	प्लास्टिक क्रेट वितरण	संख्या	3,33,333	500.00	0.00	0	0.00	0
4	अनार क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	6000	1500.00	170.31	0	19.23	129
5	ग्रीष्म कालीन तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण	संख्या	5000	250.00	0.00	0	0.00	0
6	प्याज भण्डार गृह	संख्या	1143	2000.68	1154.51	729	1113.76	729
	योग –	**–**	**–**	**8746.13**	**2470.42**	**–**	**1481.80**	**885**
	प्रशासनिक व्यय	–	–	87.46	14.00	–	8.85	0
	कुल योग –	**–**	**–**	**8833.59**	**2484.42**	**–**	**1490.65**	**885**

3 मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन (केन्द्राश 90% एवं राज्यांश 10%)

I. प्रदेश में म.प्र.राज्य औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008–09 से प्रारंभ किया गया है। यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है।

II. योजना के घटक :–
मॉडल बड़ी एवं छोटी रोपणियों की स्थापना (शासकीय/निजी क्षेत्र)
औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान।
कृषकों को प्रशिक्षण सह भ्रमण (राज्य के अंदर/बाहर)
राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।
औषधीय पौधों के फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन पर अनुदान।

III. कार्य योजना में वर्तमान में शामिल जिलें :– हरदा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ एवं राजगढ़। वर्षवार भौतिक वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)		हितग्राही संख्या
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2014–15	7535	5939	522.20	359.545	6034
2	2015–16	1864	1844	291.60	278.12	3241
3	2016–17	2518	2480	490.882	431.29	4470
4	2017–18 (दिस.–17)	1544	1565	312.558	–	2502

4 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना प्रदेश में दिनांक 01.04.2012 से लागू की गई थी। इसमें 75 प्रतिशत की दर से केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत की दर से राज्यांश उपलब्ध कराया जाता था। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की गाईड लाईन के अनुसार निम्न गतिविधियों पर निम्नानुसार अनुदान का प्रावधान था :–

क्र	नाम गतिविधि	अनुदान सहायता प्रति इकाई अधिकतम
1	टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन स्टेब्लिशमेंट/मॉर्डनाईजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज	25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 50.00 लाख
2	गैर उद्यानिकी फसलों के लिये कोल्ड चैन, वेल्यू एडिशन एवं प्रिजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर	35 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 500.00 लाख
3	मानव संसाधन विकास हेतु	
I	डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी के इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजन हेतु	रूपये 100.00 लाख तक
II	इंटरप्रेन्योरसीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (ई.डी.पी.)	रूपये 3.00 लाख प्रति ई.डी.पी.
III	फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर (एफ.पी.टी.सी.)	रूपये 9.00 से 20.00 लाख तक
4	प्रमोशनल एक्टीविटीज	
I	सेमीनार/वर्कशॉप का आयोजन	50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 4.00 लाख
II	स्टडी/सर्वे कराना	50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 4.00 लाख

वर्ष	इकाई	वित्तीय (लाख रू. में)		हितग्राही संख्या	प्राप्त निवेश (लाख रू.में)	सृजित रोजगार (लाख रू.में)
		प्रावधान	व्यय			
2014–15	संख्या	1663.44	890.84	27	11448.00	1238
2015–16	संख्या	234.61	289.00	7	2100.00	80

वर्ष 2015–16 से खाद्य प्रसंस्करण की योजना भारत सरकार द्वारा डी–लिंक कर दी गई है।

मेगा फूड पार्क स्कीम :–

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश में दो मेगा फूड पार्क स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें राज्य की ओर से कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसस्करण नीति 2012 अन्तर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं :–

1. इण्डस मेगा फूड पार्क खरगोन – पूंजी लागत अनुदान – रू. 5.00 करोड़।
2. अवंती मेगा फूड पार्क देवास – स्टाम्प शुल्क पर प्रतिपूर्ति – रू. 1.61 करोड़।

स. अन्य योजनायें –

1. **मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी अधिनियम (विनियमन) नियम 2010 का क्रियान्वयन :–** म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 जनवरी 2011 के द्वारा जारी मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी अधिनियम (विनियमन) नियम 2010 प्रदेश में लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत फलदार वृक्षो के पौधे उत्पादन एवं विक्रय हेतु विभाग द्वारा लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी की जाती है। जिससे प्रदेश के बागवानी करने वाले कृषकों को उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त हो सकें। इस हेतु अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादको एवं विक्रेताओं पर विभाग द्वारा नियत्रंण किया जाता है।

2. **बीज अधिनियम का क्रियान्वयन :–** म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 5 जनवरी 2007 में प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक – 6 में आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड–11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उद्यानिकी फसलों के बीजो के लिये समस्त उप/सहायक संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी उद्यान को अपने– अपने जिले के लिये अनुज्ञापन (लाइसेंस) अधिकारी एवं निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीज अधिनियम के प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के प्रदेश में विक्रय किये जाने वाले बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण किया जाता है।

भाग–4

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. न्यायालयीन कार्य :

वर्ष 2017–18 में समस्त प्रकार के कुल 142 न्यायालयीन प्रकरण विधाराधीन है।

- उच्चतम न्यायालय प्रकरण 03
- उच्च न्यायालय प्रकरण 102
- जिला एवं सत्र न्यायालय प्रकरण 00
- श्रम न्यायालय प्रकरण 30
- उद्योगिक न्यायालय प्रकरण 04
- उपभोक्ता फोरम न्यायालय प्रकरण 03

2. नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

i. वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 अंत तक) में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के 193 रिक्त पदों की सीधी भर्ती से नियुक्ति की गई है। अनुकंपा नियुक्ति से ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को 01, सहायक ग्रेड–3– 06 भृत्य–11 इस प्रकार 193 + 18 = 211 रिक्त पदों की पूर्ति की गई है।

3. विभागीय जांच

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 17 तक) में राजपत्रित श्रेणी के कुल 08 एवं अराजपत्रित श्रेणी के 24 विभागीय जांच के प्रकरण विचाराधीन है।

भाग–5
अभिनव योजना

1. विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में डी.बी.टी. लागू की गई है।
2. सभी योजनाओं के लिये हितग्राही द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के आधार पर अनुदान की स्वीकृति जारी किये जाने की व्यवस्था की गई है।
3. विभिन्न विषयों के 22 विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया है, जो कृषकों को समय–समय पर तकनीकी सलाह देंगे।
4. विभिन्न सेवाओं हेतु मोबाईल एप्प तैयार कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र	**विभाग से संबंधित मोबाईल एप्प से दी जा सकने वाली चिन्हित सेवायें**
1	कृषक द्वारा ली जाने वाली उद्यानिकी फसल का अनुमानित रकबा की जानकारी प्राप्त करना एवं उसके आधार पर विभाग द्वारा कृषकों को एडवायजरी जारी करना।
2	कृषक द्वारा फसल उत्पादन के क्षेत्रफल का वास्तविक आंकड़ा फसल के चित्र सहित सीधे किसान से प्राप्त करने हेतु एप्प तैयार किया जा रहा है, ताकि विपणन हेतु समुचित जानकारी व्यापरियों को उपलब्ध करायी जा सके।
3	प्रदेश में उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन की अधोसंरचना की मैपिंग कर स्टेट पोर्टल पर डालकर इनका समुचित उपयोग कर कृषकों की आय बढ़ाना।
4	फसलों से संबंधित इम्पैनल्ड विशेषज्ञों से विभिन्न फसलों के बारे में तकनीकी सलाह हेतु मोबाईल एप्प।
5	नर्मदा किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन, वृक्षारोपण प्रबंध एवं सत्यापन हेतु एप्प।
6	मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम

भाग–6

विभागीय प्रकाशन

तकनीकी साहित्य

विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी छपवाकर संभाग/जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों तक पहुॅचाई जाती है। साथ ही उद्यानिकी फसलें जैसे आम, संतरा, नीबू, केला, पपीता, अनार, ऑवला एवं सब्जियों आदि के तकनीकी ज्ञान का साहित्य छपवाकर कृषकों को कार्यशाला/सेमीनार/प्रदर्शनी में भी वितरित किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण निवेशकों के लिये कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन कर उपलब्ध कराई गई।

भाग–7

सारांश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि को लाभ का स्वरूप प्रदाय करने हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से उद्यानिकी फसलों (फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प औषधीय पौधे, सुगंधित पौधो) की खेती एवं कृषि/उद्यानिकी फसलों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

कृषि को लाभ का स्वरूप प्रदाय करने हेतु उद्यानिकी एवं कृषि आधारित उद्योग सशक्त माध्यम है। प्रदेश में उद्यानिकी के समग्र विकास हेतु कृषको को प्रशिक्षण भ्रमण, (स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय) कराकर तकनीकी ज्ञान एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु उन्नत पौध रोपण सामग्री, बीज आदि हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती, टपक सिंचाई पद्धति, फसलोत्तर प्रंबधन, मौसम आधारित फसल बीमा तथा कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के द्वारा प्रदेश के कृषकों तथा उद्यमियों को अनुदान सहायता प्रदाय कर प्रदेश की उन्नति हेतु विभाग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

M P AGRO

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तत्पर

तृतीय तल, पंचानन भवन, मालवीय नगर भोपाल

दूरभाष 0755–2551807, 2551967, 2551756

फेक्स 0755–2557305

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योंग विकास निगम मर्यादित भोपाल

स्थापना –

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी में 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हुई । निगम की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 500.00 लाख है एव प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 329.49 लाख है जिसमें से भारत सरकार का अंश रूपये 120.00 लाख है एवं राज्य शासन का अंश रूपये 209.49 लाख है ।

उद्देश्य –

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना ।
2. सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न की उपलब्धता की वृद्धि में योगदान ।
3. कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना ।

मुख्य गतिवधियां –

1. रासायनिक उर्वरक, यंत्रीकृत कृषि मे ट्रेक्टर, पॉवर टिलर, पंपसेट, कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर एवं टपक सिंचाई यंत्र, पौध संरक्षण, टूलकिट, हाइब्रिड एवं टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज एवं पौधो का विपणन ।
2. उन्नत कृषि उपकरण, ट्रेलर, टेंकर, का निर्माण एवं प्रदाय ।
3. बायोगैस संयंत्रों की स्थापना ।
4. जीवाणु खाद का उत्पादन तथा विपणन ।
5. कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा निगम को नोडल एजेन्सी नामांकित किया गया है ।
6. पोषण आहार का उत्पादन एवं प्रदाय ।

कृषि आदान विपणन नीति–

1. कृषि आदानो की खरीदी के लिये शासन के निर्देशानुसार कृषक खुले बाजार से सामग्री क्रय करने के लिये स्वतंत्र है ।
2. शासन की खुली नीति के अनुरूप निगम द्वारा अन्य विक्रेताओं की तरह डीलर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है ।
3. शासन की नीतियो के अंतर्गत अनुदान जिले के उपसंचालक द्वारा देय होता है ।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

प्रशासनिक संरचना (निगम का ढांचा)

अध्यक्ष

प्रबंध संचालक

मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	प्रक्षेत्र	उत्पादन इकाईयां
1	7	50	01	2

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

5. निगम अमला (31 जनवरी 2018 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदो की संख्या	रिक्त पदो की संख्या
1	**प्रथम श्रेणी**	15600 से 34400 तक	**56**	**19**	**37**
2	**द्वितीय श्रेणी**	15600–39100+5400	**72**	**14**	**58**
3	**तृतीय श्रेणी**	5200 से 9300 तक	528	200	328
4	**चतुर्थ श्रेणी**	4440 से 5200 तक	**180**	**103**	**77**
5	**दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मचारी**		**–**	**134**	**–**
		महायोग	**836**	**470**	**500**

टीपः– तृतीय श्रेणी के 94 एवं चतुर्थ श्रेणी के 21 पद डाईग केडर के है अर्थात सेवा निवृत्ति के पश्चात पदों को भरा नहीं जावेगा ।

1 1986 जीवाणु खाद संयंत्र इंद्रपुरी भोपाल मे स्थापित किया गया था । कल्चर का उत्पादन व वितरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है विगत 5 वर्षो की प्रगति निम्नानुसार है –

वर्ष	उत्पादित पैकेट	वितरित पैकेट
2011–2012	30,95,212	30,40,700
2012–2013	33,97,615	33,80,800
2013–2014	32,92,124	32,65,375
2014–2015	17,49,454	17,61,020
2015–16	18,41,603	18,16,889
2016–17	13,05,166	13,49,754
2017–18(31 दिसम्बर 2017 तक)	6,84,837	7,11,644

2 वर्ष 1995–96 बाडी जिला रायसेन में 400 मी.टन पोषण आहार प्रतिमाह उत्पादन क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया था । जिसमें वर्ष 2010 में नवीनीकरण कर उत्पादन क्षमता 400 मी.टन प्रतिमाह से बढाकर 1000 मी.टन प्रतिमाह की गयी है । उक्त संयंत्र मे हलुवा,सोया बर्फी, एवं आटाबेसन लड्डू प्री मिक्स का उत्पादन किया जा रहा है । साथ ही पोषण आहार का प्रदाय तीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भी किया जा रहा है । विगत पॉच वर्ष की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	बाडी संयंत्र से प्रदाय पोषण आहार वितरण (मी.टन)	संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्रदाय पोषण आहार वितरण (मी.टन)
2011–2012	12693.408	1,80,668.503
2012–2013	16564.339	1,84,581.997
2013–2014	18436.920	1,71,882.509
2014–2015	19396.001	1,87,071.774
2015–2016	20280.600	1,85,423.369
2016–2017	20807.700	18,84,15.405
2017–2018 (31 दिसम्बर 2017 तक)	13808.271	12,46,46.679

3 निगम द्वारा शासन की अनुमति से वर्ष 1994–95 से उर्वरक वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। निगम व्दारा रासायनिक उर्वरक का विक्रय कृषको को विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है । विगत पॉच वर्षो में रासायनिक उर्वरक का वितरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	वितरण (विक्रय) मी.टन
2011–2012	36,876.25
2012–2013	44,985.79
2013–2014	57,743.15
2014–2015	42,171.75
2015–2016	56,185.57
2016–2017	54,417.25
2017–2018 (31 दिसम्बर 2017 तक)	23,397.20

लेखे

4 वर्ष 2015–16 के लेखों को विधान सभा के पटल पर दिनांक 29.11.17 को रखा गया है । वर्ष 2016–17 का लेखा कार्य प्रगति पर है ।

5 निगम द्वारा प्रदेश में बायोगैस संयंत्रो की स्थापना का कार्य किया जा रहा है वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य	निर्मित बायोगैस संयंत्रों की सख्या
2010–2011	12,000	12,071
2011–2012	12,000	10,736
2012–2013	12,000	10,891
2013–2014	10,,000	8,679
2014–2015	10,,000	7,509
2015–2016	10,000	6,846
2016–2017	8,000	5,296
2017–2018(31 दिसम्बर 2017 तक)	8,500	1,910

6 निगम द्वारा बैलचलित एवं हस्तचलित कृषि उपकरणों का विक्रय किया जा रहा है । वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है

वर्ष	निगम द्वारा विक्रित यंत्रों की संख्या
2011–2012	50,347
2012–2013	1,28,721
2013–2014	1,21,014
2014–2015	1,00,235
2015–2016	1,71,195
2016–2017	1,97,487
2017–18(31 दिसम्बर 2017 तक)	63,968

7. निगम द्वारा अनुदान पर ट्रेक्टर विक्रय किये जा रहे है । वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	**निगम द्वारा विक्रित ट्रैक्टर की संख्या**
2011–2012	45
2012–2013	94
2013–2014	09
2014–2015	26
2015–2016	103
2016–2017	81
2017–2018(31 दिसम्बर 2017 तक)	06

8 निगम द्वारा ट्रेक्टर एवं शक्तिचलित कृषि यंत्रों का वितरण अनेक वर्षो से किया जा रहा है –

वर्ष	शक्ति चलित यंत्र	रोटावेटर	पावर टिलर	थ्रेशर
2011–2012	2912	506	116	196
2012–2013	2033	303	64	31
2013–2014	7678	1304	209	145
2014–2015	3230	1175	185	312
2015–2016	1892	1072	268	318
2016–2017	2256	1138	472	278
2017–2018(31 दिसम्बर 2017 तक)	175	00	04	11

9 **निगम के लाभ की विगत पॉच वर्षो की जानकारी**

क्रमांक	वर्ष	लक्ष्य (करोड में)	व्यवसाय (लाख में)	लाभ (लाख में) कर उपरांत	संचित लाभ (लाख में)
1	2016–2017	1568.74	148301	3351.60	19859.44 अनुमानित
2	2015–2016	1559.00	13259.92	3912.42	16507.84
3	2014–2015	1295.96	125962	3233.68	12595.042
4	2013–2014	1362.50	139852	3684.76	9361.74
5	2012–2013	1381.00	133208	2340.46	5676.98
6	2011–2012	93780	134806	3059.71	3342.33

याॉत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई

मूलभूत जानकारी :–

1 स्थापना –1971–72

2 उद्देश्य – बहूमुखी खेती का प्रर्दशन,उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण,उन्नत बीजों का प्रदाय निगम के मूल उद्देश्यों के अनुकूल कार्यकलापो का विस्तार ।

3 **प्रक्षेत्र में पदस्थ अमला** : नियमित अधिकारी/कर्मचारी – 14
कंटीजेन्सी कर्मचारी एवं संविदा – 13

4 **प्रक्षेत्र पर उपलब्ध फार्म मशीनरी/संसाधन**

ट्रैक्टर एचएमटी–5911–4, 2522–1, 2011–1, ट्रैक्टर जे.डी. 5310–2, ट्राली 4 व्हील–5, ट्राली 2 व्हील–2, टैंकर 4व्हील–1, सीड ड्रिल –4, डिस्क हेरो–8, कल्टीवेटर–8, बंडफारमर–1, सीड ग्रडिंग प्लांट–1, स्ट्रारीपर–1, पावरस्प्रेयर–3, एरोब्लास्ट स्पेयर–1, रोटावेटर–2, स्क्रेपर–3, ट्यूबवेल–8'' बोर–40, स्प्रिंकलर सेट–47, ट्री पूनर–1, महिन्द्रा जीप–1,रीपर–1, रोटावेटर नये–3,

5 **भूमि का विवरण** :– प्रक्षेत्र का कुल रकवा 1572.55 एकड। प्रशासनिक दृष्टि से प्रक्षेत्र तीन इकाईयो में विभक्त है इकाईवार रकवा निम्ननानुसार हैः–

इकाई क्रमांक	एक	दो	तीन	योग
रकवा (एकड में)	480.62	551.07	540.86	1572.55

उपयोग की जानकारी

(एकड में)

1. असिंचित भूमि	429.00
2. कृषि(रबी, खरीफ) क्षेत्र रकबा	507.05
3. अविकसित भूमि का क्षेत्र	30.40
4. बगीचों का क्षेत्रफल	440.84
4. नहर क्षेत्र	26.30
5. मॉडल नर्सरी का क्षेत्र	10.00
6. नीलगिरी क्षेत्र	10.00
7. शासन द्वारा अधिगृहित भूमि (नागरिक आपूति निगम /भण्डार गृह निगम को उपलब्ध करायी गयी **(61 एकड भूमि वापस प्राप्त)**	30.00
8. रोड एवं बिल्डिंग का क्षेत्र	86.51
9. मन्दिर का क्षेत्र	1.25
योग	**1572.55**

वर्ष 2012–13 से 2017–18 (31.12.2017) तक उपलब्धियों का विवरण–

(रू लाख में)

क्र	विवरण	वर्ष 2012–2013 की उपलब्धियॉ	वर्ष 2013–2014 की उपलब्धियॉ	वर्ष 2014–15 की उपलब्धियॉ	वर्ष 2015–16 की उपलब्धियां	वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां	वर्ष 2017–18 की उपलब्धियां (31 दिसम्बर 2017 तक)
1	विपणन– ट्रेक्टर,, ट्रेक्टर ड्रान उपकरण, पावर टिलर, पंपसेट, स्प्रिकलर,ड्रिप इरिगेशन टूलकिट,बैटरी, टायर–टयूब,पौध संरक्षण यंत्र थ्रेशर	26938.97	27528.17	25288.94	22306.49	21685.49	1784.50
2	आर.टी.ई. बाडी एवं संयुक्त उपक्रम के माध्यम से	73849.86	75539.79	77237.83	82950.83	94281.87	54837.22
3	जीवाणु/आर्गेनिक खाद	362.33	390.80	268.93	346.65	513.73	1289.69
4	बायोगैस एसेसरीज	119.32	111.45	100.82	98.28	64.31	33.93
5	बैल चलित कृषि उपकरण	2313.85	3045.85	3723.30	5740.42	8838.08	2563.02
6	अन्य कार्यक्रम– टेलर टेंकर, व अन्य इंजिनियरिंग कार्य	2350.87	2312.26	1281.42	1669.10	468.32	3945.28
7	विविध	20306.45	23858.24	13414.64	7775.71	6419.12	8693.29
8	रासायनिक खाद/पेस्टीसाइड	6966.90	7065.63	4646.93	20841.04	16030.11	4374.55
	कुल व्यवसाय	**133208.00**	**139852.00**	**125962.81**	**141728.52**	**148301.08**	**77521.48**

परिशिष्ट–1

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के अन्तर्गत लागत मापदण्ड तथा अनुदान का विवरणः–

क्र	मद	लागत मानदण्ड	सहायता का प्रतिमान
ए	अनुसंधान	रूपये 100.00 लाख परियोजना	आई.सी.ए.आर., सी.एस.आई.आर., एस.एयू. के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के संस्थान, राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसियां और अन्य स्थान विशेष के संस्थान आवश्यकता के मुताबिक निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यो की शुरूआत – I. रोपण सामग्री के आयात समेत बीज एवं रोपण सामग्री II. तकनीकी मानकीकरण एवं III. तकनीकी अधिग्रहण और IV. 100 फीसदी मदद के साथ परियोजना के मुताबिक प्रशिक्षण एवं एफएल डी।
बी–1			
रोपण आधारभूत संरचना विकास रोपणी सामग्री का उत्पादन			
i)	उच्च तकनीक बागान (4 हेक्टर)	रूपये 25.00 लाख/हेक्टर	आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियो के लिये अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को 100 % जो कि 100 लाख रूपये प्रति इकाई तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी लागत की 40 फीसदी जो कि अधिकतम 40 रूपये प्रति इकाई तक सीमित होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टर में न्यूनतम 50 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल/पौधे/रोपण लायक पौधों का उत्पादन।
ii)	छोटे बागान (एक हेक्टर)	रूपये 15.00 लाख/हेक्टर	आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के लिये अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को 100 % और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी जो कि अधिकतम 7.50 लाख तक होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टर में न्यूनतम 25 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल/पौधे/रोपण लायक पौधों का उत्पादन।
iii)	प्रमाणिक प्रतिमानों के अनुरूप बागान के आधारभूत संरचना को उन्नत बनाना	रूपये 10.00 लाख/4 हेक्टर	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 5.00 लाख प्रति बागान। आधारभूत संरचना में विसंक्रमण, कार्यशाला शेड (रसदार फलों एवं सेब के लिये), जीवाणु सूचकांक सुविधा, कठोरीकरण कक्ष/जालीदार घर, अंधेरी कोठरी पौध शाला की स्थापना, सिंचाई एवं निषेचन सुविधा प्रति इकाई।

iv)	विद्यमान ऊतक संवर्धन (टीसी) इकाइयों सुदृढ़ीकरण	रूपये 20.00 लाख/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सहायता।
v)	नए ऊतक संवर्धन (टीसी) इकाई की स्थापना	रूपये 250.00 लाख/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर 40 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता। प्रत्येक ऊतक संवर्धन इकाई को प्रतिवर्ष अधिदेशित फसल की न्यूनतम 25 लाख पौधे तैयार करने होगें जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके।
vi)	**मसाले और सब्जियों का उत्पादन**		
ए	अनावृत पराग सिंचित फसल	रूपये 35000.00 हेक्टर	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिये मैदानी इलाके में 35 प्रतिशत।
बी)	संकर (हाईब्रिड) बीज	रूपये 1.50 लाख/हेक्टर	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के लिए मैदानी इलाके में 35 प्रतिशत।
vii)	रोपण सामग्री का आयात	रूपये 100.00 लाख	परियोजना पर आधारित कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लागत का 100 फीसदी।
viii)	बीज आधारभूत सरंचना(बागान फसलों के संवर्धन के लिए बीज सामग्री के तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले बीजों के रखरखाव, प्रसंस्करण पैकिंग और भंण्डारण इत्यादि के लिये)	रूपये 200.00 लाख	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत ऋण संबद्ध बैक एंडेड सहायता के रूप में।
बी–2	नए बागानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर हेतु)		
i.	फल		
ए	लागत प्रधान फसलें		
i.	अंगूर, कीवी पैशन फ्रूट इत्यादि		
ए	टपक सिंचाई और जाल समेत समेकित पैकेज	रूपये 4.00 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम और जाल लगाने टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद मे व्यय धनराशि को पूरा करने के लिये अधिकतम 1.60 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) यह मदद फसलों के दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बचे रहने की स्थिति में तीन किश्तों में **60:20:20** के आधार पर।
बी)	गैर समेकित	रूपये 1.25 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम और जाल लगाने, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत), मदद फसलों के दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बचे रहने की स्थिति में तीन किश्तों 60:20:20 के आधार पर।
ii)	**स्ट्राबेरी**		
ए)	टपक सिंचाई और आच्छादन समेत समेकित पैकेज	रूपये 2.80 लाख/हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम और पतवार से आचछादन टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामन की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए अधिकतम 1.12 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) एक किश्त में।

बी)	गैर समेकित	रूपये 1.25 लाख/हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम और पतवार से आच्छादान, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री की मद मे व्यय धनराशि को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) एक किश्त में।
iii)	केला (अंतर्भूस्तरी)		
ए)	टपक सिंचाई के साथ समेत समेकित पैकेज	रूपये 2.00 लाख/हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख/हेक्टर की मदद(लागत का 40.00 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तो में।
बी)	गैर समेकित हेक्टर	रुपये 87,500/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.35 हजार /हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
iv)	अनानास (अंतर्भूस्तरी)		
ए)	टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रूपये 3.00 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 1.20 लाख /हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
बी)	गैर समेकित	रुपये 87,500/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.35 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।

v) केला (टीसी)		
ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रुपये 3.00 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 1.20 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
बी) गैर समेकित	रुपये 1.25 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, झरना सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टर की मदद (लागतका 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
vi) अनानास (टीसी)		
ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रुपये 5.50 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 2.20 लाख/हेक्टर की मदद (लागतका 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
बी) गैर समेकित	रुपये 1.25 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.50 लाख/ हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
vii) पपीता		
ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रुपये 2.00 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
बी) गैर समेकित	रुपये 0.60 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.30 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 50 प्रतिशत) 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
viii) अति उच्च घनत्व वाले पौधे (मीडो आरचर्ड)		
ए) झरना सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रुपये 2.00 लाख/ हेक्टर	छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.80 लाख /हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत) 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बने रहने पर।
बी) गैर समेकित	रुपये 1.25 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.50 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत)।

ix) उच्च घनत्व वाले पौधे (आम, अमरूद, लीची, अनार, सेब, नीबू इत्यादि)		
ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रुपये 1.50 लाख/ हेक्टर	छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.60 लाख /हेक्टर की मदद(लागत का 40 प्रतिशत) 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। यह मदद दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बने रहने के आधार पर।
बी) गैर समेकित	रुपये 1.00 लाख/ हेक्टर	आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत)।
बी) लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त फल फसलें		
सामान्य दूरी पर लगाए जाने वाले लागत		
प्रधान फसलों के अतिरिक्त फल फसलें		
ए) टपक सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रुपये 1.00 लाख/ हेक्टर	छतरी प्रबंधन एवं आईएनएम/आईपीएम सामग्री, टपक सिंचाई के लिए जरूरी सामान की लागत और रोपण सामग्री के मद में आने वाली लागत के लिए अधिकतम 0.40 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 40 प्रतिशत)। दूसरे साल में पौधों के 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत बने रहने की स्थिति में बारहमासी फलों के लिए यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में और गैर बारहमासी फलों के लिए यह मदद 75:25 के अनुपात में दो किश्तों में।
बी)गैर समेकित	रुपये 0.60 लाख/ हेक्टर	सभी राज्यों में तीन किश्तों में आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 0.30 लाख/हेक्टर की मदद (लागत का 50 प्रतिशत) दी जाएगी।
II. **सब्जी (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टर क्षेत्र हेतु)**		
i) संकर (हाईब्रिड)	रुपये 50,000/ हेक्टर	सामान्य क्षेत्र में लागत का 40 प्रतिशत और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त (ए) और (बी) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से मदद।

III. **मशरूम**		
i) उत्पादन इकाई	रुपये 20 लाख / इकाई	आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद।
ii) कवक निर्माण इकाई	रुपये 15 लाख / इकाई	आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद।
iii) खाद निर्माण इकाई	रुपये 20 लाख / इकाई	आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद।
IV. **फूल (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टर क्षेत्र हेतु)**		
i) कटे फूल	रुपये 1.00 लाख / हेक्टर	सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत की मदद।
ii) कंदीय फूल	रुपये 1.50 लाख / हेक्टर	सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत की मदद।
iii) खुले फूल	रुपये 0.40 लाख / हेक्टर	सामान्य क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत की मदद।
V. **मसाले (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र हेतु)**		
i) बीज मसाला और प्रकंदी मसाले	रुपये 30,000 / हेक्टर	आईएनएम / आईपीएम इत्यादि के लिए सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय होने वाली धनराशि के लिए अधिकतम 12000रू / हेक्टर (लागत का 40 प्रतिशत) की मदद।
ii) बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल इत्यादि)	रुपये 50,000 / हेक्टर	आईएनएम / आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद।
VI. **सुगंधित पौधे (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र हेतु)**		
i) लागत आधारित सुगंधित पौधे (पचौली,जिरेनियम, गुलाब)	रुपये 1.00 लाख / हेक्टर	आईएनएम / आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 40,000 रुपये की मदद।
ii) अन्य सुगंधित पौधे	रुपये 40,000.00 / हेक्टर	आईएनएम / आईपीएम इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 16,000 रुपये की मदद।

VII. **बागान फसलें (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र हेतु)**			
i) काजू एवं कोको			
ए) टपक सिंचाई समेत समेकित पैकेज		रुपये 1.00 लाख / हेक्टर	आईएनएम / आईपीएम, टपक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 40,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 50 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में
	बी) गैर समेकित–	रुपये 50,000 / हेक्टर	आईएनएम / आईपीएम, टपक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में उपरोक्त i) और ii) के मद में लागत का 50 प्रतिशत की दर से तीन किश्तों में।
बी–3	**जीर्ण बागानों का पुनरुद्धारध्प्रतिस्थापन**	रुपये 40,000 / हेक्टर	प्रति लाभार्थी दो हेक्येटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 20,000 रुपये तक की मदद।
बी–4	**जल स्रोतों का सृजन**		
	i) प्लास्टिक / कंकरीट के इस्तेमाल से सामुदायिक टंकी / खेतों में तालाब / जलाशय का सृजन	मैदानी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 लाख / इकाई	सामुदायिक / किसान समूह के मालिकाना हक वाले या संचालित किए जाने वाले 10 हेक्टर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता वाले 100x100x03 मीटर के तालाब या सिंचित क्षमता के अनुपात में इससे छोटे तालाबों के निर्माण के लिए लागत का 100 फीसदी की मदद। ऐसे तालाब का निर्माण कम से कम 500 माइक्रोन के प्लास्टिक की झिल्ली या कंकरीट का इस्तेमाल। बिना किसी निर्धारित आकार वाले तालाब (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु) के लिए 30 प्रतिशत कम मदद दी जाएगी, जो प्लास्टिक या कंकरीट की दीवार के लिए ही होगी। परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को तालाब या जलाशय के निर्माण पर आने वाली पूरी लागत मदद के रूप में।

	ii) व्यक्तिगत हेतु जल संचयन प्रणाली– (20x20x03 मीटर क्षेत्रफल वाले तालाब/नलकूप/कुएं हेतु 125 रुपये/घनमीटर की दर से)	मैदानी क्षेत्रों में रुपये 1.50/इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख/इकाई।	300 माइक्रोन की प्लास्टिक/कंकरीट की लाइनिंग समेत लागत का 50 प्रतिशत। गैर लाइनिंग तालाब/टंकी (काली कपास मृदा क्षेत्र हेतु) के लिए सहायता राशि 30 प्रतिशत कम होगी। छोटे आकार वाले तालाब/नलकूपों के लिए उनके सिंचित क्षमता के अनुपात में सहायता राशि होगी। इसका रखरखाव लाभार्थियों द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा।
बी–5	**संरक्षित खेती**		
	1.ग्रीन हाउस ढांचा		
ए) पंखा एवं पैड प्रणाली	मैदानी क्षेत्रों के लिए 1650 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए), 1465 रुपये/वर्ग मीटर (500 से अधिक से 1008 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए),1420 रुपये/वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से अधिक से 2080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए), 1400 रुपये/वर्ग मीटर (2080 वर्ग मीटर से अधिक और 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपरोक्त सभी दर 15 प्रतिशत अधिक होंगे।	प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत।	
बी) प्राकृतिक वातायन प्रणाली i) नलाकार ढांचा	1060 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए), 935 रुपये/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर से अधिक और 1008 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक), 890 रुपये /वर्ग मीटर (1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के लिए), 844 रुपये/वर्ग मीटर (2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों में उपरोक्त दर 15 प्रतिशत अधिक होगा।	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत	
ii) लकड़ी का ढांचा	मैदानी क्षेत्रों के लिए 540 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 621 रुपये/वर्ग मीटर।	अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत प्रत्येक लाभार्थी (हर एक इकाई 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)	
iii) बांस का ढांचा	मैदानी क्षेत्रों के लिए 450 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 518 रुपये/वर्ग मीटर	अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत प्रत्येक लाभार्थी (हर एक इकाई 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)	
2. छायादार जाली गृह			
ए) नलाकार ढांचा	मैदानी क्षेत्रों के लिए 710 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 816 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिशत।	

बी) लकड़ी का ढांचा	मैदानी क्षेत्रों के लिए 492 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 566 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत (एक इकाई अधिकतम 200 वर्ग मीटर)
सी) बांस का ढांचा	मैदानी क्षेत्रों के लिए 360 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 414 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20 इकाई तक लागत का 50 प्रतिशत (एक इकाई अधिकतम 200 वर्ग मीटर)
3. प्लास्टिक की सुरंग	मैदानी क्षेत्रों के लिए 60 रुपये/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 1000 वर्ग मीटर तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिशत।
4. बड़ी सुरंग (वॉक इन टनल)	600 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 5 इकाई तक सीमित ढांचे के लिए लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 800 वर्ग मीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए)
5. पक्षी रोधी / वृष्टि रोधी जाली	35 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 5000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत
6. पॉली गृह में उगाई गई उच्च कोटि की सब्जियों की खेती और रोपण सामग्री की लागत	140 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत
7. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत ऑर्किड /एंथूरियम की खेती व रोपण सामग्री की लागत	700 रुपये/वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत
8. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत कॉर्नेशन एवं जेरबेरा की खेती और रोपण सामग्री की लागत	610 रुपय/ वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत

	9. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत गुलाब और लिली की खेती और रोपण सामग्री की	426 रुपये /वर्ग मीटर	प्रत्येक लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत
	10. प्लास्टिक की पलवार (मल्चिंग)	मैदानी क्षेत्रों के लिए 32,000 रुपये/हेक. और मैदानी क्षेत्रों के लिए 36,800 रुपये /हेक्टर	प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 2 वर्ग हेक्टर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत
बी–6	**सुनिश्चित कृषि विकास केंद्रों (पीएफडीसी) के जरिए सुनिश्चित कृषि विकास एवं विस्तार**	परियोजना के आधार पर	पीएफडीसी की लागत का 100 प्रतिशत
बी–7	**समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम)/समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन**		
	i) आईएनएम/आईपीएम का संवर्धन	4000 रुपये /हेक्टर	प्रति लाभार्थी अधिकतम 4.00 हेक्टर क्षेत्र के लिए लागत का 30 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 1200 रुपये /हेक्टर
	ii) रोग पूर्वानुमान इकाई (पीएसयू)	6.00 लाख रुपये /इकाई	लागत का 100 फीसदी
	iii) जैव नियंत्रण प्रयोगशाला	90.00 लाख रुपये/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी।
	iv) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक	25.00 लाख रुपये/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी।
	v) पत्ती/टिशू विश्लेशण प्रयोगशाला	25.00 लाख रुपये/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 फीसदी और निजी क्षेत्र के लिए 50 फीसदी।
बी–8	**जैविक खेती**		
	i) जैविक खेती को अपनाना	20,000 रुपये/ हेक्टर	प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत, जो 10,000 रुपये/हेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। यह सहायता धनराशि तीन वर्षों में क्रमशः पहले वर्ष 4000 रुपये, दूसरे और तीसरे वर्ष 3000 रुपये के रूप में दी जाएगी। यह कार्यक्रम प्रमाणीकरण से संबद्ध होगा।

	ii) जैविक प्रमाणीकरण	परियोजना आधारित	50 हेक्टर क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये। यह धनराशि पहले वर्ष में 1.50 लाख,दूसरे वर्षमें 1.50 लाख और तीसरे वर्ष में 2.00 लाख रुपये के रूप में दी जाएगी।
	iii) वर्मी खाद इकाई/जैविक आदान उत्पादन	स्थायी ढांचे हेतु 100,000 रुपये/ इकाई और एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 16,000 रुपये/इकाई	स्थायी ढांचे के लिए 30x8 x2-5 फीट आयाम की इकाई के निर्माण के अनुपात में लागत का 50 प्रतिशत। एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 96 घन फीट (12x4x2) इकाई और आईएस 15907 रू 2010 के अनुपात में लागत का 50 प्रतिशत।
बी–9	**ढांचा समेत बेहतर कृषि कार्यों (जीएपी) का प्रमाणीकरण**	10,000/हेक्टर	प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टर क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत
बी–10	**बागवानी दक्षता केंद्र**	1000.00 लाख /केंद्र	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत। ऐसे केंद्र द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर स्थापित किए जाएंगे।
बी–11	**मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण का बढ़ाना**		
	i) न्यूक्लियस स्टाक का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र	20.00 लाख	लागत का 100 प्रतिशत
	ii) मधुमक्खी प्रजनक द्वारा मधुमक्खी छत्ते का निर्माण	10.00 लाख	प्रतिवर्ष कम से कम 2000 छत्तों के निर्माण के लिए लागत का 40 प्रतिशत
	iii) मधुमक्खी के छत्ते	8 फ्रेम वाले प्रति छत्ता 2000 रूपये	प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए लागत का 40 प्रतिशत
	iv) मधुमक्खी–पेटिका	2000 रुपये/ पेटिका	प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए लागत का 40 प्रतिशत
	v) भाहद निकालने वाले (4 फ्रेम) फुड ग्रेड कंटेनर (30	20,000 रुपये/सेट	प्रति लाभार्थी एक सेट के लिए लागत का 40 प्रतिशत।
बी–12	**बागवानी यंत्रीकरण**		
	i) ट्रैक्टर (20 पीटीओ हॉर्स पॉवर)	3.00 लाख/ इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 75000 रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 35 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 1.00 लाख रुपये/ इकाई।
	ii) पावर टिलर		

	ए) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)	1.00 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 40000 रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति,छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये/इकाई।
	बी) पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक)	1.50 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 60,000 रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 75,000 रुपये /इकाई।
	iii) ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम)/उपकरण		
	ए) भूमि विकास, जुताई और रोपाई करने वाले उपकरण	0.30 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 15,000 रुपये/इकाई।
बी)	बुआई, रोपाई और खुदाई के उपकरण	0.30 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 15,000 रुपये/इकाई।
	सी) प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण	0.70 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 28,000 रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 35,000 रुपये/इकाई।
	iv) स्वचालित बागवानी यंत्र	2.50 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये/इकाई।
	v) पौध संरक्षण उपकरण		
	ए) हस्तचालित स्प्रेयरः		
	i) नेपसैक/पांव से चलाए जाने वाला स्प्रेयर	0.012 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.005 लाख रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.006 लाख रुपये/इकाई।
	बी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 8–12 लीटर)	0.062 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.025 लाख रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.031 लाख रुपये/इकाई।
	सी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 12–16 लीटर)	0.076 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.03 लाख रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.038 लाख रुपये/इकाई।
	डी) यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)	0.20 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 लाख रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 लाख रुपये /इकाई।

	ई) ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम) विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर	0.20 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 लाख रुपये/ इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 लाख रुपये/इकाई।
	एफ) ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) विद्युत इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर	1.26 लाख /इकाई	लागत का 40 प्रतिशत, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह अधिकतम 0.50 लाख रुपये/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत, 0.63 लाख रुपये/इकाई।
	जी) इको– फ्रैंडली लाइट ट्रैप (35 बीएचपी से अधिक)	0.028 लाख /इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह अधिकतम रुपये 0.012 लाख/इकाई। पूर्वोत्तर के लाभार्थियों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत, 0.014 लाख रुपये/इकाई।
	vi) प्रदर्शनी के लिए बागवानी के नए यंत्रों एवं उपकरणों का आयात (सार्वजनिक क्षेत्र)	50.00 लाख /इकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत
बी–13	**प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के जरिए तकनीक का प्रचार–प्रसार**	25.00 लाख	किसानों के खेतों के लिए लागत का 75 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र, एसएयू इत्यादि के फॉर्म के लिए लागत का 100 प्रतिशत।
बी–14	**मानव संसाधन विकास (एचआरडी)**		
	i) पर्यवेक्षकों एवं उद्यमियों के लिए एचआरडी	20 लाख/ इकाई	साल लागत का 100 प्रतिशत। आगे के वर्षों में आधारभूत ढांचे पर आने वाली लागत के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा।
	ii) मालियों के लिए एचआरडी	15 लाख / इकाई	लागत का 100 प्रतिशत
	iii) किसानों को प्रशिक्षण		
	ए) राज्य के अंतर्गत	आने जाने के खर्च को मिलकर 1000 रुपये/ किसान प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	बी) राज्य के बाहर	परियोजना आधारित वास्तविक खर्च	लागत का 100 प्रतिशत
	iv) किसानों का प्रभावन दौरा		
	ए) राज्य के बाहर	परियोजना आधारित वास्तविक खर्च	लागत का 100 प्रतिशत
	बी) भारत के बाहर	4 लाख /सहभागी	परियोजना आधारित। हवाई/रेल यात्रा का 100 प्रतिशत। कोर्स के लिए लगने वाला शुल्क मिशन प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा।
	v) तकनीकी कर्मचारी/क्षेत्र पदाधिकारियों का		
	प्रशिक्षण/अध्ययन यात्रा		

	ए) राज्य के अंतर्गत	रोजाना 300 रुपये / भागीदार तथा टीए / डीए जो भी अनुमन्य हो।	लागत का 100 प्रतिशत
	बी) प्रगतिशील राज्यों / इकाइयों का अध्ययन दौरा	रोजाना 800 रुपये / भागीदार तथा टीए / डीए जो भी अनुमन्य हो।	लागत का 100 प्रतिशत
	सी) भारत के बाहर	6.00 लाख रुपये / सहभागी	हवाई / रेल यात्रा का 100 प्रतिशत। कोर्स के लिए लगने वाला शुल्क मिशन प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा।
सी	फसलोपरांत समेकित प्रबंधन		
सी–1	भंडार घर	9 मीटर x 6 मीटर आकार वाले प्रत्येक इकाई के लिए 4.00 लाख रुपये।	पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत
सी–2	वाहकपट्टा, छटाई, क्रमस्थापन इकाई, धुलाई, सुखाई और तुलाई की सुविधाओं से युक्त समेकित भंडारगृह	9 मीटर x 18 मीटर आकार के भंडार घर के लिए 50.00 लाख / इकाई	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और निजी उद्यमियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–3	पूर्व शीतलन इकाई	6 टन क्षमता वाले इकाई के लिए 25.00 लाख रूपये / इकाई	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–4	शीत घर (स्टेजिंग)	30 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 15.00 रुपये / इकाई	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर सेऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत।
सी–5	चलित पूर्व शीतलन इकाई	25.00 लाख रुपये	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–6	कोल्ड स्टोरेज (निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण)		
	i) कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 1– एकल तापमान क्षेत्र वाले 250 टन से अधिक क्षमता वाले बड़े चैम्बर का निचला तल्ला। ii) कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2– बहुतापीय एवं उत्पाद के इस्तेमाल के लिए पीईबी ढांचा, (250 टन से कम) के 6 से अधिक चैम्बरों एवं यंत्र संचालित करने वाले	8000 / टन (अधिकतम 5000 टन क्षमता) 10,000 / टन (अधिकतम 5000 टन क्षमता)	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत। प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।

	iii) कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2, वातावरण नियंत्रित करने वाली तकनीक के साथ	वातावरण नियंत्रण तकनीक उपकरणों की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपये/टन की अतिरिक्त धनराशि। **परिशिष्ट**–II में उपलब्ध विस्तृत जानकारी के अनुसार।	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–7	कोल्ड स्टोरेज चेन का तकनीकी अधिष्ठापन एवं आधुनिकीकरण	पीएलसी उपकरण, पैकेजिंग लाइन, डॉक तलेक्षक, अत्याधुनिक ग्रेडर, वैकल्पिक तकनीक, टाल प्रणाली, पृथक्करण एवं प्रशीतन का आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए अधिकतम 250. 00 लाख। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट**–II में	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–8	प्रशीतित परिवहन वाहन	9 मीट्रिक टन (एनएचएम एवं एचएमएनईएच) क्षमता के लिए 26.00 लाख और कम क्षमता, पर 4 मीट्रिक टन से कम नहीं, के लिए उसके अनुपात में	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–9	प्रारंभिक/चालित/अल्प प्रसंस्करण इकाई	25.00 लाख रुपये/इकाई	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिशत।
सी–10	पक्वन कक्ष	1.00 लाख/मीट्रिक टन	प्रति लाभार्थी अधिकतम 300 एमटी के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
सी–11	वाष्पणिक/निम्न ऊर्जा शीत कक्ष (8 एमटी)	5 लाख रुपये/इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत
सी–12	प्रतिरक्षण इकाई	नई इकाई के लिए 2.00 लाख रुपये/इकाई और इकाई में सुधार के लिए 1.00 लाख रुपये/इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत
सी–13	कम लागत वाले प्याज भंडारण घर (25 मी0 टन)	1.75 लाख रुपये/इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत

सी–14	पूसा शून्य ऊर्जा शीतन कक्ष (100 किलोग्राम)	4000 रुपये/इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत
सी–15	एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली	परियोजना आधारित। अधिकतम 600.00 लाख की लागत वाली परियोजना में उपरोक्त सी1– से सी 13 के तहत अधिसूचित उपकरणों में से कम दो उपकरण का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए।	प्रति लाभार्थी अधिकतम 300 मी0 टन के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
डी	**सरकारी/निजी/सहकारी क्षेत्र के बागवानी उत्पादन हेतु विपणन ढांचे की स्थापना**		
डी–1	आवधिक बाजार	150.00 करोड़ रुपये/ परियोजना	अलग से जारी संचालित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी नीलामी व्यवस्था के जरिए सरकारी–निजी सहभागिता की स्थिति में 25 से 40 प्रतिशत (50.00 करोड़ से अधिक नहीं)
डी–2	थोक बाजार	100.00 करोड़ रुपये/ परियोजना	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 33.33 प्रतिशत।
डी–3	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार	25.00 लाख रुपये	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिशत।
डी–4	खुदरा बाजार/दुकानें (पर्यावरण नियंत्रित)	15.00 लाख रुपये/ इकाई	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
डी–5	स्थिर/चालित विक्रय ठेला/शीत कक्ष के साथ प्लेटफॉर्म	30,000/इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत
डी–6	निम्न के लिए क्रियात्मक आधारभूत ढांचा		
	i) संचयन/पृथक्कन/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि	15.00 लाख रुपये/इकाई	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि,पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 55 प्रतिशत।
	ii) गुणवत्ता नियंत्रण/ विश्लेशणात्मक प्रयोगशाला	200.00 लाख रुपये	ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के तौर पर सार्वजनिक के लिए लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत।

डी–7	पहाड़ी क्षेत्रों में दाब संचालित रोप–वे	15.00 लाख रुपये/कि.मी.	पहाड़ी क्षेत्रों में ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिशत की दर से।
इ	खाद्य प्रसंस्करण		
ई–1	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	800.00 लाख रुपये/इकाई	जम्मू एवं क मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऋण संबद्धबैक एंड सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिशत की दर से पूंजीगत निवेश सहायता।
एफ	विशेष उपाय		
एफ–1	नवीन उपाय, जो भारत सरकार के किसी भी योजना के तहत नहीं आता हो।	लागत का 10 प्रतिशत	परियोजना के प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिशत
एफ–2	एसएचएम के आपात/अप्रत्याशित आवश्यकताओं से निपटना	20.00 लाख रुपये	परियोजना के प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिशत
जी	मिशन प्रबंधन		
जी–1	राज्य एवं जिला मिशन कार्यालय और प्रशासनिक खर्चे, परियोजना, तैयारी, कंप्यूटरीकरण, आपात इत्यादि के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां।	राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम)/क्रियान्यवन एजेंसियों की जरूरतों के आधार पर वार्षिक व्यय का 5 प्रतिशत	100 प्रतिशत की सहायता
जी–2	संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वाहनों को किराए पर लेना/खरीदना, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत की सहायता
जी–3	सेमिनार कॉन्फ्रेरेंस, कार्यशाला, प्रदर्शनी, किसान मेला, बागवानी प्रदर्शनी, मधु महोत्सव इत्यादि		
	ए) अंतरर्राष्ट्रीय स्तर	7.50 लाख रुपये/आयोजन	4 दिनों के आयोजन में व्यय का यथानुपात 100 प्रतिशत।
	बी) राष्ट्रीय स्तर	5.00 लाख रुपये/आयोजन	20 दिन के आयोजन के लिए प्रति आयोजन 100 प्रतिशत
	सी) राज्य स्तर	3.00 लाख रुपये/आयोजन	100 प्रतिशत की सहायता। दो दिनों के कार्यक्रम के लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 3.00 लाख रुपये।
	डी) जिला स्तर	2.00 लाख रुपये/आयोजन	100 प्रतिशत की सहायता। दो दिनों के कार्यक्रम के लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 2.00 लाख रुपये।
जी–4	प्रचार, प्रकाशित सामग्री इत्यादि एवं स्थानीय विज्ञापन के जरिए सूचना का प्रसार	40,000 रुपये/ब्लॉक	लागत का 100 प्रतिशत
जी–5	तकनीकी पैकेज का इलैक्ट्रानिक रूप में विकास तथा सूचना तकनीकी द्वारा प्रसार	1.00 लाख रुपये/जिला	लागत का 100 प्रतिशत

जी–6	राज्य स्तर पर विषेशज्ञों/कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी एवं प्रबोधन मूल्यांकन/मूल्यांकन, जन संचार, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेरेंस इत्यादि को लेने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)।	परियोजना आधारित,लेकिन प्रति राज्य सालाना 50.00 लाख से अधिक नहीं।	लागत का 100 प्रतिशत
जी–7	किसान उत्पादक संगठन/एफपीओ/प्रति 20 हेक्टर पर 15–20 किसानों के एफआईजी किसान अधिकार समूह, उत्पादक संगठन और वित्तीय संस्थानों एवं समुच्चयक के साथ गठबंधन का संवर्धन	एसएफएसी द्वारा जारी मानकों के अनुरूप	एसएफएसी की तरफ से समय समय पर जारी मानकों के अनुरूप
जी–8	बेसलाइन सर्वेक्षण एवं बागवानी सांख्यिकीय डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण	बड़े राज्यों के लिए 100.00 लाख, छोट राज्यों के लिए 50.00 लाख और अत्यधिक छोटे राज्यों/केंद्र भाासित प्रदेशों के लिए 25.00 लाख।	सर्वेक्षण संबंधी कार्यों के लिए एक मुक्त सहायता के रूप में आने वाली लागत का 100 प्रतिशत।
I.	राष्ट्रीय स्तर		
जी–9	राज्य स्तर पर विषेशज्ञों/कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी एवं प्रबोधन मूल्यांकन/मूल्यांकन, जन संचार, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेरेंस इत्यादि को लेने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)। जी3 पर आधारित	5.00 करोड़ रुपये वार्षिक	लागत का 100 प्रतिशत
जी–10	एफएओ, विश्व बैंक, एडीबी, जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तकनीकी समझौता, द्विपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अनावरण दौर/अधिकारियों का प्रशिक्षण इत्यादि।	परियोजना आधारित वास्तविक लागत	लागत 100 प्रतिशत
लागत मानक से आशय सब्सिडी की गणना के लिए लागत की उच्च सीमा से है।			
नोट–	सार्वजिनक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पजींकृत सोसाइटी/न्यासों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे संस्थानों को बैक एंडेड सब्सिडी जारी करने के लिए उसके ऋण संबंद्ध होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते की ये एजेंसियां इस बात का भरोसा दिलाएं कि वह अपने स्रोतों से शेष धनराशि की व्यवस्था कर सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में योजना आयोग के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकारों एवं योजना आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों समेत अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं और टीपीएस क्षेत्र में आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों और एचएमएनईएच योजना के तहत आने वाले हिमालय के इलाकों से है।		